उत्तराखण्ड शासन

जी. एस. टी.

माल एवं सेवा कर

सामान्य जानकारी

वाणिज्य कर विभाग
उत्तराखण्ड

जी.एस. टी.

माल एवं सेवाकर

सामान्य जानकारी

एवं

''प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न''

वाणिज्य कर विभाग
उत्तराखण्ड

आयुक्त कर मुख्यालय
मसूरी रिंग रोड, नत्थनपुर, देहरादून
0135–2669935

अनुक्रमणिका

क्रम.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	जी0एस0टी0 : एक संक्षिप्त परिचय	03
2.	जी0एस0टी0 क्रियान्वयन हेतु उठाये गये कदम तथा कार्य योजना	08
3.	जी0एस0टी0–समस्या एवं समाधान	15
	प्रश्नोत्तरी (FAQs)	
4.	जी0एस0टी0 नामांकन (GST Enrolment) (पंजीकृत व्यापारियों के लिए)	18
5.	पंजीयन (Registration)	30
6.	विवरणी (Return Submission)	38
7.	कर भुगतान (Tax Payment)	44
8.	वापसी (Refund)	47
9.	कर बीजक (Tax Invoice)	53
10.	संक्रमणकालीन उपबंध (Transitional Provisions)	65
11.	समाधान संबंधी प्रावधान (Composition Provisions)	71
	महत्वपूर्ण जानकारियां	
12.	कॉमन सर्विस सेन्टर की सूची	58
13.	वेबसाईट/हेल्पलाईन इत्यादि	64

प्रकाशन तिथि: 09 जून, 2017

वस्तु एवं सेवा कर (GST) : एक संक्षिप्त परिचय

जी0एस0टी0 का भारत में आगमन अप्रत्यक्ष कर सुधारों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। केन्द्र एवं राज्यों के अनेक करों के एकीकरण तथा पूर्व में किए गये कर भुगतान की आई0टी0सी0 मिलने के कारण यह जहां करों के अध्यारोही प्रभाव को कम करेगा, वहीं इससे एकीकृत राष्ट्रीय बाजार की भी स्थापना होगी। उपभोक्ताओं के लिए इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण लाभ करों का बोझ कम होना होगा जो वर्तमान में लगभग 25–30 प्रतिशत सम्भावित है। इससे हमारे उत्पादों के राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी होने की भी सम्भावना है। इससे आर्थिक वृद्धि होगी तथा कर आधार बढ़ने, व्यापार बढ़ने तथा कर व्यवस्था के सरलीकृत होने के कारण केन्द्र एवं राज्यों के राजस्व में भी वृद्धि की सम्भावना है। पारदर्शिता के कारण इसे प्रशसित करना भी सरल होगा।

भारत में जी0एस0टी0 लागू करने की अवधारणा प्रथमत: वर्ष 2006–07 के केन्द्रीय बजट में दृष्टिगोचर हुई। राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति को जी0एस0टी0 के लिए एक रोड मैप बनाने का दायित्व सौंपा गया। इस हेतु केन्द्र एवं राज्य के अधिकारियों के संयुक्त समूह गठित किये गये तथा उन्हें जी0एस0टी0 के विभिन्न विषयों यथा करमुक्ति, थ्रेसहोल्ड, सेवाओं पर करारोपण, अन्तर्प्रान्तीय आपूर्ति पर करारोपण आदि पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का कार्य दिया गया। उपरोक्त रिपोर्टों पर विचार–विमर्श एवं केन्द्र सरकार से वार्ता के बाद अधिकार प्राप्त समिति (इम्पावर्ड कमेटी) द्वारा नवम्बर 2009 "First Discussion paper on GST" जारी किया गया। इसके द्वारा जी0एस0टी0 की महत्वपूर्ण विषेशताएं इंगित की गयी तथा यह केन्द्र एवं राज्यों के बीच भविष्य के विचार–विमर्श का आधार था।

जी0एस0टी0 की मुख्य विषेशताओं को निम्न प्रकार समझा जा सकता है।

- वर्तमान में वस्तुओं के निर्माण, उनकी बिक्री तथा सेवाएं उपलब्ध कराने के बिन्दु पर करदेयता है, जबकि इसके विपरीत जी0एस0टी0 में वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति पर करदेयता होगी। यह एक गन्तव्य आधारित उपभोग कर होगा।

- यह एक दोहरी जी0एस0टी0 प्रणाली है जिसमें केन्द्र एवं राज्य द्वारा समान कर आधार पर करारोपण होगा। प्रान्तीय आपूर्तियों पर केन्द्र द्वारा लगाई जाने वाली जी0एस0टी0 CGST कही जाएगी जबकि उपरोक्त पर राज्य द्वारा लगाई जाने वाली जी0एस0टी0 SGST होगी। अंतर्प्रांतीय आपूर्तियों पर IGST आरोपित होगा।

- यह मानवीय उपभोग हेतु शराब तथा पांच पेट्रोलियम प्रोडक्ट पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, हाईस्पीड डीजल, नैचुरल गैस तथा ए0टी0एफ0 को छोड़कर सभी

वस्तुओं की आपूर्ति पर आरोपित होगा। यह कुछ निर्दिष्ट सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर आरोपित होगा। प्राकृतिक गैस पर जी.एस.टी. आरोपित किए जाने का प्रस्ताव विचारधीन है।

- तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों को जी0एस0टी0 के अधीन किया जाएगा। इसके अलावा केन्द्र सरकार इन उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भी लगा सकती है।

जी0एस0टी0 में केन्द्र के निम्न कर समाहित होंगे :–

1- Central Excise duty
2- Duties of Excise (Medicinal and toilet Preparation)
3- Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance)
4- Additional Duties of Excise (Textiles and Textiles products)
5- Additional Duties of Excise (Commonly Known as CVD)
6- Special Additional Duties of Customs (SAD)
7- Service Tax

जी0एस0टी0 में केन्द्र के निम्न कर समाहित होंगे :–

1- State VAT
2- Central Sales Tax
3- Luxury Tax
4- Entry Tax in lieu of octroi
5- Entertainment tax (not levied by the local bodies)
6- Taxes on advertisements
7- Purchase Tax
8- Taxes on lotteries, betting and gambling
9- State cesses and surcharges insofar as they relate to supply of goods and services

- वस्तुओं एवं सेवाओं की अर्न्तप्रान्तीय आपूर्ति पर IGST (Integrated GST) केन्द्र सरकार द्वारा आरोपित एवं संग्रहीत की जाएगी। केन्द्र तथा राज्यों के बीच समय–समय पर लेखाओं का मिलान होगा ताकि IGST का वह हिस्सा जो SGST का है, उपभोक्ता राज्य को हस्तान्तरित हो सके।

- करदाता पूर्व में कच्चे माल/निर्मित माल की खरीद के लिए गये कर भुगतान का लाभ अपनी आपूर्ति पर देय कर हेतु ले सकेगा, परन्तु SGST की ITC का लाभ CGST हेतु अथवा CGST की ITC का लाभ SGST हेतु नहीं लिया जा

सकेगा। IGST की ITC का लाभ क्रमिक रूप से IGST, CGST, SGST में लिया जा सकेगा।

- वस्तुओं के वर्गीकरण हेतु जी0एस0टी0 में HSN कोड का प्रयोग किया जाएगा। डेढ़ करोड़ से पाँच करोड़ टर्नओवर तक के व्यापारियों को दो डिजिट का कोड तथा इससे ऊपर टर्नओवर पर चार डिजिट का कोड उल्लिखित करना होगा।
- निर्यात पर कर की दर शून्य होने के कारण पूर्व में की गई खरीदों पर ITC अनुमन्य होगा।
- वस्तुओं एवं सेवाओं का देश बाहर से आयात अन्तर्प्रान्तीय आपूर्ति माना जाएगा तथा इस पर IGST देय होगा जो लागू कस्टम ड्यूटी के अतिरिक्त होगा।
- SGST एवं CGST, के आरोपण एवं संग्रहण की विधियाँ, नियम तथा तरीके सामान्यतया समान होंगे।

जी0एस0टी0 एवं केन्द्र एवं राज्यों के वित्तीय सम्बन्ध

- वर्तमान में संविधान द्वारा केन्द्र तथा राज्यों की वित्तीय शक्तियों को परिभाषित किया गया है तथा इसमें एक–दूसरे के क्षेत्रों में कोई हस्तक्षेप नहीं है।
- केन्द्र को मानवीय प्रयोग हेतु शराब, अफीम एवं नारकोटिक्स आदि को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं के निर्माण पर करारोपण का अधिकार है। जबकि राज्यों को वस्तुओं की बिक्री पर करारोपण का अधिकार है।
- केन्द्रीय बिक्री की स्थिति में केन्द्र को करारोपण का अधिकार है, लेकिन यह कर राज्यों द्वारा एकत्र किया जाता है तथा राज्यों द्वारा स्वयं विनियोजित कर लिया जाता है। सेवाओं के मामले में केवल केन्द्र सरकार को ही सेवाकर लगाने का अधिकार है।
- जी0एस0टी0 लागू किये जाने पर केन्द्र एवं राज्य दोनों को कर लगाने एवं एकत्र करने का अधिकार दिये जाने हेतु 101वां संविधान संशोधन किया जा चुका है तथा केन्द्र एवं राज्यों को एक समान क्षेत्राधिकार दिये जाने के लिए एक विशिष्ट संरचना स्थापित की जा चुकी है, जिसमें जी0एस0टी0 के स्वरूप एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में केन्द्र एवं राज्य दोनों द्वारा संयुक्त रूप से निर्णय लिया जा सकेगा तथा इसे प्रभावी बनाने के लिए इस संरचना को संविधान द्वारा अपेक्षित प्राधिकार भी प्राप्त होगें।
- **101 वाँ संविधान सांशोधन अधिनियम**

- मानवीय प्रयोग हेतु शराब तथा पांच पैट्रोलियम उत्पादों को छोड़कर जी0एस0टी0 सभी वस्तुओं एवं सेवाओं पर आरोपित किया जाएगा।

- यह कर संघ एवं राज्यों द्वारा दोहरे जी0एस0टी0 के रूप में अलग–अलग आरोपित किया जाएगा।

- केन्द्र द्वारा आरोपित किये जाने वाले CGST के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा एवं इसी प्रकार राज्यों द्वारा आरोपित किये जाने वाले कर SGST के सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार सम्बन्धित राज्यों की विधायिका को होगा।

- वस्तुओं/सेवाओं की अन्तर्प्रान्तीय आपूर्ति की स्थिति में IGST लागू होगा तथा इसके सम्बन्ध में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को होगा।

- अन्तर्राज्यीय व्यापार के सम्बन्ध में जी0एस0टी0 आरोपित एवं संग्रहीत करने का अधिकार भारत सरकार को होगा तथा यह कर जी0एस0टी0 काउंसिल की संस्तुति के आधार पर केन्द्र एवं राज्यों के बीच संसद द्वारा बनाए गये कानून के आधार पर हस्तान्तरित किया जाएगा।

- पेट्रोलियम एवं उसके उत्पाद जी0एस0टी0 की परिधि में हैं किन्तु यह निर्णय लिया गया है कि क्रियान्वयन के प्रारम्भिक वर्षो में इन्हें जी0एस0टी0 से बाहर रखा जाएगा।

- तम्बाकू और उसके उत्पादों पर केन्द्र सरकार को जी0एस0टी0 के अतिरिक्त excise duty भी लगाने का अधिकार होगा।

- मनोरंजन एवं विनोद पर, पंचायत, नगरपालिका, क्षेत्रीय परिषद या जिलापरिषद द्वारा आरोपित किये जाने वाले कर जी0एस0टी0 में सम्मिलित नहीं होंगे।

- क्रियान्वयन के आरम्भिक वर्षो में राज्यों को होने वाली आशंकित राजस्व में कमी की क्षतिपूर्ति केन्द्र द्वारा किये जाने हेतु जी0एस0टी0 काउंसिल की संस्तुति पर संसद द्वारा विधेयक बनाकर प्राविधान किया गया है और यह क्षतिपूर्ति पांच वर्षो के लिए होगी।

- एक जी0एस0टी0 काउंसिल का गठन किया गया है, जिसके चेयरमैन केन्द्रीय वित्तमंत्री हैं एवं राज्यों के वित्त/कराधान मंत्री इसके सदस्य हैं। अब तक परिषद की 14 बैठकें सम्पन्न हो चुकी है।

इसके द्वारा निम्नवत विषय में संस्तुति की जाएगी :–

- ऐसे उपकर, कर एवं अधिभार जो जी0एस0टी0 में सम्मिलित किये जाएंगे।
- ऐसी वस्तुएं/सेवायें जिन्हें जी0एस0टी0 के अन्तर्गत अथवा करमुक्त रखा जाएगा।
- पेट्रोलियम एवं उसके उत्पादों पर जी0एस0टी0 लागू किये जाने की तिथि।
- जी0एस0टी0 लॉ, करारोपण के सिद्धान्त तथा IGST का वितरण एवं आपूर्ति के स्थान के विनियमन सम्बन्धी सिद्धान्त
- थ्रेशहोल्ड जिसके नीचे के व्यापारियों को जी0एस0टी0 से मुक्त रखा जाएगा।
- जी0एस0टी0 में कर की दरें, फ्लोर रेट एवं कर पद्धति, बैण्ड आदि।
- प्राकृतिक आपदाओं या दैवीय आपदाओं की स्थिति में अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु कर की विशिष्ट दरों का निर्धारण।
- उत्तर पूर्वी राज्यों जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के लिए विशेष प्राविधान।
- जी0एस0टी0 काउंसिल की स्थापना के द्वारा जी0एस0टी0 के विभिन्न आयामों में केन्द्र एवं राज्यों तथा राज्यों के बीच समरूपता सुनिश्चित हो सकेगी।
- जी0एस0टी0 काउंसिल द्वारा अपने विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने हेतु जी0एस0टी0 के समरूप ढांचे एवं व्यवस्था एवं सेवाओं हेतु समरूपता तथा राष्ट्रीय बाजार के सिद्धान्त को विशेष रूप से स्वयं हेतु सिद्धान्त के रूप में स्वीकार करेगी।
- जी0एस0टी0 काउंसिल अपनी संस्तुति के आधार पर उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाने के लिए भी तरीके निर्धारित करेगी।

1. जीएसटी विधि

- केन्द्र एवं राज्य के कराधान अधिकारियों के संयुक्त प्रयास से निर्मित जी0एस0टी0 कानून अंतिम रूप से दिनांक 31.03.2017 को संसद द्वारा पारित किया जा चुका है तथा वित्त विभाग भारत सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है। इस CGST/ SGST अधिनियम में इक्कीस अध्याय, 174 धाराएं तथा तीन अनुसूचियां हैं। इस अधिनियम में कराधान बिन्दु, करयोग्य व्यक्ति, आपूर्ति का समय, आपूर्ति का मूल्यांकन तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट सम्बन्धी प्राविधान दिये गये हैं। यह विधि प्रशासनिक तथा प्रक्रियात्मक पहलुओं के साथ–साथ पंजीयन, रिटर्न दाखिल, कर निर्धारण, कर भुगतान, लेखाओं के रखरखाव, रकम वापसी, लेखापरीक्षा, मांग एवं आर्थिक दण्ड, अभियोजन, अपील एवं पुर्नविचार, एडवान्स रूलिंग तथा संधिकाल हेतु प्राविधान आदि भी स्वयं में समेटे हुए है।
- जी0एस0टी0 व्यवस्था के अन्तर्गत करयोग्य व्यक्ति द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर कर का भुगतान किया जाएगा। थ्रेशहोल्ड लिमिट से अधिक टर्नओवर होने यथा बीस लाख से अधिक टर्नओवर होने पर करदेयता होगी। उत्तराखण्ड एवं कुछ अन्य विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए यह टर्नओवर दस लाख वार्षिक नियत की गयी है। वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति के सभी प्रान्तीय संव्यवहारों पर CGST तथा SGST देय होगा, जबकि अन्तर्प्रान्तीय आपूर्ति पर IGST देय होगा। जिन संव्यवहारों में आपूर्तिकर्ता तथा प्राप्तकर्ता का स्थान एक ही राज्य में होगा वे प्रान्तीय संव्यवहार होंगे, जबकि इनके भिन्न–2 राज्य में स्थित होने पर ये अन्तर्प्रान्तीय (IGST) के संव्यवहार होंगे। इन पर लगने वाले कर की दर सम्बन्धित कानूनों में अनुसूची में उल्लिखित कर दर होगी।
- प्रस्तावित IGST विधि नौ अध्यायों में है जिसमें 25 धाराएं हैं। अधिनियम में वस्तुओं की आपूर्ति का स्थान निर्धारित करने हेतु विधियां हैं। जहां आपूर्ति में वस्तुओं का स्थानान्तरण होना है, वहां आपूर्ति का स्थान वह जगह होगी जहां प्राप्तकर्ता को देने हेतु संव्यवहार अन्तिम रूप से समाप्त होता है। जहां आपूर्ति में वस्तु का स्थानान्तरण नहीं होता है तो आपूर्ति का स्थान वह होगा जहां वस्तु की सुपुदर्गी प्राप्तकर्ता को दी गयी हो। वस्तु को एसेम्बल कर स्थापना करने अथवा किसी मशीन के किसी स्थान पर लगाकर देने पर आपूर्ति का स्थान स्थापना का स्थान होगा। किसी वाहन में यात्रा के दौरान वस्तु के स्थानान्तरण पर आपूर्ति का स्थान वाहन के यात्रा आरंभ करने का निर्धारित/अधिसूचित स्थान होगा।
- सेवाओं की आपूर्ति के स्थान सम्बन्धी प्राविधान भी इस विधि में प्राविधानित है। कुछ निर्धारित अपवादों के अतिरिक्त यदि सेवा की आपूर्ति पंजीकृत व्यापारी को

होती है तो प्राप्तकर्ता पंजीकृत व्यापारी का स्थान आपूर्ति का स्थान होगा। यदि यह आपूर्ति अपंजीकृत को होती है परन्तु अपंजीकृत का पता आपूर्तिकर्ता के रिकार्ड पर है तो अपंजीकृत का स्थान आपूर्ति का स्थान होगा। अपंजीकृत का पता उपलब्ध न होने पर आपूर्ति का स्थान सेवा प्रदाता का पता होगा। IGST लॉ में आपूर्ति के स्थान संबंधी अपवाद नियमों, जो अचल सम्पत्ति, रेस्टोरेन्ट कैटरिंग, ट्रेनिंग, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेले, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा तथा वित्तीय सेवाओं हेतु लागू होगे, का भी प्राविधान है।

- IGST विधि IGST की ITC के CGST व SGST में भी लाभ लेने की व्यवस्था करती है। यदि IGST की क्रेडिट का लाभ CGST के भुगतान हेतु लिया जाता है तो केन्द्र सरकार उतनी रकम IGST खाते से CGST खाते में स्थानान्तरित कर देगी। इसी प्रकार SGST में IGST से क्रेडिट लेने पर केन्द्र सरकार सम्बन्धित राज्य सरकार के खाते में उतनी रकम स्थानान्तरित कर देगी। विधि में IGST में प्राप्त कर के केन्द्र तथा राज्य के बीच बंटवारे तथा प्राप्त राशियों के उनके बीच समायोजन का प्राविधान भी है। CGST विधि के अनेक प्राविधान यथा पंजीयन, मूल्यांकन, कर निर्धारण, ऑडिट, निरीक्षण, जब्ती, अपील आदि IGST में भी उसी रूप में लागू होंगे।
- जी0एस0टी0 लॉ का तैयार करने में कुछ नीतिगत मुद्दों को ध्यान में रखा गया है जैसे कर कानूनों में स्पष्टता, प्रशासनिक सरलता, कर दाताओं हेतु सहयोगी होना तथा 'ईज ऑफ डूईग बिजनेस' अर्थात व्यापार की सुगमता के विचार को बढ़ावा देना। विवादों के निपटारे हेतु एक स्पष्ट व्यवस्था का निर्माण किया गया है।

व्यापारी का विभाग से न्यूनतम व्यक्तिगत सम्पर्क

- पंजीयन ऑनलाईन मिलेगा तथा तीन दिन में कोई कमी सूचित न किये जाने पर स्वतः मिल जाएगा।
- करयोग्य व्यक्ति अपना कर स्वयं निर्धारित करेगा तथा अपेक्षित रकम सरकार के खाते में जमा करेगा।
- कर ऑनलाईन ही जमा होगा केवल छोटे व्यापारी बैंक में काउन्टर पर GST ऑनलाईन जेनरेटेड चालान के द्वारा कर जमा कर सकेंगे तथा एक कर अवधि में मात्र रू0 दस हजार तक की राशि काउण्टर पर जमा कराई जा सकती है।
- करदाता व्यापारी अपनी खरीद एवं बिक्री का विवरण इलैक्ट्रानिक रूप में ऑनलाईन दाखिल करेंगे। अधिकारियों से किसी सम्पर्क की आवश्यकता नहीं होगी।
- सामान्य व्यापारी अपना रिटर्न मासिक रूप से ऑनलाईन प्रस्तुत करेंगे जबकि समाधान का विकल्प अपनाने वाले व्यापारी त्रैमासिक रिटर्न देंगे। रिटर्न में उपयोग की गई ITC, प्राप्त ITC, देय कर, जमा कर तथा अन्य निर्धारित विवरण होंगे।

वार्षिक रिटर्न दाखिल करने से पहले या आगामी वर्ष के सितंबर माह के पूर्व, जो भी पहले हो कभी भी पूर्व रिटर्न में पाई गई गलतियां संशोधित की जा सकेगीं।

- आई0टी0सी0 मैचिंग, रिवर्सल तथा पुनर्दावा जांच आदि समस्त कार्य जी0एस0टी0एन0 पोर्टल के द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप से होंगे जिसमें व्यापारी से कोई सम्पर्क नहीं होगा तथा इससे आई0टी0सी0 के गलत दावों तथा ITC दोहराव को भी रोका जा सकेगा।
- व्यापारी कर दाता को अपनी लेखाबहियां तथा अन्य अभिलेख इलेक्ट्रानिक फार्म में रखने की छूट होगी।

इनपुट टैक्स क्रेडिट– (ITC)

- अधिकतर कर विवाद आई0टी0सी0 जनित होने के कारण इसे न्यूनतम करने हेतु जी0एस0टी0 लॉ में स्पष्ट प्राविधानित किये गये हैं तथा प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
- करदाता द्वारा अपने इनपुट पर दिये गये कर का क्रेडिट लाभ कर भुगतान में स्वकर निर्धारण द्वारा स्वतः ही लेना अनुमन्य होगा तथा केवल नकारात्मक सूची की सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी वस्तु/सेवा की I.T.C. का लाभ कर भुगतान हेतु लिया जा सकेगा।
- इनपुट पर भुगतान किये गये कर की I.T.C. तभी मिलेगी जब वह इनपुट व्यापार की वस्तुओं हेतु हो अथवा कर योग्य आपूर्ति हेतु हो।
- कैपिटल गुड्स पर पूर्ण I.T.C. का लाभ जीएसटी विधियों के प्राविधानों के अनुसार दिया जाएगा। यह लाभ किश्तों में नहीं अपितु एक बार में प्रदान कर दिया जाएगा।
- अप्रयुक्त I.T.C. अग्रेनीत की जा सकती है।
- समूह की कम्पनियों में भी I.T.C. वितरण हेतु व्यवस्था निर्धारित की गई है।

रिफन्ड

- रिफन्ड सम्बन्धी प्राविधानों को सरल तथा कर दाताओं हेतु अत्यधिक सुविधाजनक बनाया गया है।
- रिफन्ड आवेदन के लिए समय सीमा एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष कर दी गई है।
- दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ ऑनलाईन रिफन्ड आवेदन होगा तथा रिफन्ड बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के आवेदक के बैंक खाते में जाएगा।
- रिफन्ड पर आवेदन प्राप्ति के 60 दिनों के अन्दर निर्णय ले लिया जाएगा अन्यथा ब्याज देय है।
- यदि रिफन्ड की रकम रूपये दो लाख से कम है तो आवेदनकर्ता द्वारा कर भार अन्तरित न करने की स्वतः घोषणा ही पर्याप्त होगी। कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं देना होगा।

- I.T.C. का रिफन्ड निर्यात के मामलों में अनुमन्य होगा। यह ऐसे मामलों में भी अनुमन्य होगा जहां निर्मित माल पर कर की दर कच्चे माल पर कर की दर से कम हो।
- निर्यात के मामलों में रिफन्ड आवेदन पर 90% का भुगतान अस्थायी तौर पर बिना प्रमाणों के सत्यापन किए ही कर दिया जाएगा।

मांग (Demands)

- कर निर्धारण वादों के लम्बे समय तक निस्तारित न होने की शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए जी0एस0टी0 में कर निर्धारण वादों के निपटारे हेतु 'सनसेट क्लाज' का प्राविधान रखा गया है।
- सामान्य मामलों में वार्षिक रिटर्न दाखिल करने के तीन वर्षो के अन्दर आदेश पारित करना होगा।
- फ्राड तथा टर्नओवर छिपाने आदि के मामलों में यह सीमा पांच साल होगी।
- कारण बताओं नोटिस तथा आदेश हेतु अलग अलग समय सीमा नहीं होगी।
- यदि ऑडिट/निरीक्षण के समय भी कम जमा अथवा जमा न किया गया कर ब्याज के साथ जमा कर दिया जता है तो अर्थदण्ड न्यूनतम लगेगा।
- कर निर्धारण अधिकारी अपने आदेश में प्रासंगिक तथ्यों एवं निर्णय के आधार का उल्लेख करेगा।
- आदेश में वर्णित कर, ब्याज अथवा अर्थदण्ड की मांग उस रकम से अधिक नहीं होगी जो नोटिस में उल्लिखित थी।
- नोटिस में पूछे गए बिन्दुओं के अतिरिक्त आदेश में अतिरिक्त रूप से अन्य नए आधार नहीं लिए जाएंगे।

लेखा परीक्षण (Audit)

- लेखा परीक्षा का तरीका कर दाताओं हेतु एक संवेदनशील बिन्दु रहा है। इसलिए जी0एस0टी0 लॉ में इसे उत्कृष्ट बनाने का प्रयास किया गया है।
- अधिकारियों द्वारा प्रत्येक मामले में लेखापरीक्षा व्यापार स्थल पर ही जाकर करने की आवश्यकता नहीं है। इसे विभागीय कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- व्यापारी को आडिट करने से कम से कम 15 दिन पूर्व इसकी सूचना दी जाएगी।
- आडिट पारदर्शी तरीके से किया जाएगा तथा उसे प्रारम्भ करने की तिथि से तीन माह में पूर्ण करना होगा।
- आडिट पूर्ण होने के बाद बिना विलम्ब किए आडिट अधिकारी व्यापारी को आडिट में पाए गए तथ्य, उसके अधिकार एवं दायित्व तथा प्राप्त निष्कर्षो के आधार की जानकारी देगा।

अर्थदण्ड सम्बधी सामान्य अनुशासन

- व्यापारियों की एक महत्वपूर्ण समस्या अधिकारियों द्वारा छोटी–छोटी गलतियों पर भी बड़े अर्थदण्ड लगाना है। इस समस्या को दूर करने के भी प्रावधान किए गए हैं।
- कर नियमों अथवा प्रक्रिया की छोटी–छोटी गलतियों के मामलों में अर्थदण्ड नहीं लगाया जाएगा।
- यदि दस्तावेजों में कोई तथ्य रह गया हो अथवा गलत उल्लिखित हो गया हो परन्तु फ्राड अथवा जानबूझकर लापरवाही न हो तथा उसका आसानी से संशोधन सम्भव हो तो अर्थदण्ड नहीं लगाया जाएगा।
- अर्थदण्ड उल्लंघन की गम्भीरता तथा स्तर के अनुरूप ही लगेगा।
- कोई अर्थदण्ड कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद तथा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देकर ही आरोपित किया जाएगा।
- आदेश में अपराध का प्रकार, सम्बन्धित विधिक प्रावधान तथा आदेश के तार्किक आधार लिपिबद्ध होंगे।
- यदि व्यापारी द्वारा अपने आर्थिक अपराध का स्वयं प्रकटीकरण किया जाता है तो अर्थदण्ड पर अधिकारी द्वारा सद्भावपूर्ण ढंग से विचार किया जाएगा।
- **विवादों के सामाधान हेतु वैकल्पिक व्यवस्था**
- विवाद समाधान के पुराने सभी तरीके यथा एडवान्स रूलिंग जी0एस0टी0 में भी रहेंगें।
- एडवान्स रूलिंग अब अधिक विषयों पर प्राप्त की जा सकेगी। विषयों में वस्तु अथवा सेवाओं का वर्गीकरण, मूल्यांकन के तरीके, कर दर, इनपुट टैक्स क्रेडिट की स्वीकार्यता, करदायित्व, पंजीयन दायित्व तथा कोई विशेष संव्यवहार आपूर्ति है अथवा नहीं शामिल होगें।
- एडवान्स रूलिंग के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की सुविधा भी उपलब्ध होगी।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

- वर्तमान व्यवस्था से जी.एस.टी. में अन्तरित होने हेतु सरल प्रावधान बनाए गए हैं।
- वर्तमान में पंजीकृत व्यापारियों को छः माह के लिए वैध पंजीयन प्रमाण–पत्र प्रारम्भ में जारी किया जाएगा तथा अपेक्षित सूचनाएं प्राप्त करा देने पर इसे स्थायी कर दिया जाएगा।
- सेनवैट अथवा वैट से रिटर्न में लाई गई आई0टी0सी0 का लाभ कुछ शर्तो के साथ अनुमन्य होगा। कैपिटल गुड्स पर सेनवैट क्रेडिट जिसे रिटर्न में अग्रसारित न किया गया हो, का लाभ भी कुछ शर्तो के अधीन लिया जा सकेगा।
- स्टाक के उपलब्ध इनपुट पर दी गई ड्यूटीज तथा करों का लाभी आई0टी0सी0 के रूप में कुछ शर्तो के अधीन दिया जाएगा। यह सुविधा समाधान से सामान्य के रूप में

परिवर्तित हो रहे व्यापारी को भी उलब्ध होगी।

- जी0एस0टी0 लगने से पूर्व भेजा गया माल यदि जी0एस0टी0 लगने के छः माह के अन्दर वापस आता है तो उस पर कोई करदेयता नहीं होगी। यही प्रक्रिया जाबवर्क अथवा अन्य संवर्धन प्रक्रिया हेतु भेजे गए माल हेतु भी होगी।
- पूर्व की विधि में अनिस्तारित रिफन्ड के आवेदन उसी विधि के अनुसार निस्तारित होंगे तथा वापसी नगद में कुछ शर्तो के अधीन होगी। यही प्रक्रिया सेनवैट क्रेडिट/आई0टीसी0 क्रेडिट हेतु भी होगी।
- यदि किसी संव्यवहार पर कर का पूर्ण भुगतान जी0एस0टी0 आने के पूर्व की विधि के अन्तर्गत हो चुका हो, तथा उस संव्यवहार का एक हिस्सा जी0एस0टी0 लागू होने के बाद व्यवहरित किया जा रहा हो तो उस पर कोई करदेयता नहीं होगी।
- यदि जी0एस0टी लगने से पूर्व स्वीकार करने हेतु भेजा गया कोई माल जी0एस0टी लगने के बाद अस्वीकार कर छः माह के अन्दर वापस किया जाए तो उस पर कोई करदेयता नहीं होगी।

जी0एस0टी0 लॉ के अन्य प्रावधान

- इस विधि के अन्य अनेक प्रावधान करदाताओं हेतु सुविधाजनक तथा व्यापारिक संवर्द्धन हेतु उपयोगी है।
- वस्तुओं का मूल्यांकन उनके संव्यवहार मूल्य पर किया जाएगा यथा इनवायस में वर्णित मूल्य पर। यह प्रक्रिया वर्तमान में सेन्ट्रल एक्साईज एवं कस्टम विधियों में प्रभावी है।
- सभी माहों हेतु कर का भुगतान अगले माह किया जाएगा। मार्च के कर का भुगतान भी अप्रैल में किया जाएगा न कि मार्च में, जैसा कि अभी प्रचलित है। समाधान व्यापारियों द्वारा त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने के कारण उनके द्वारा त्रैमास के ठीक बाद वाले महीने में कर जमा किया जाएगा।
- करदाताओं को पूर्व में जारी इनवायस के विरूद्ध अनुपूरक इनवायस अथवा संशोधित इनवायस जारी करने का अधिकार होगा।
- करदाताओं को अपनी खरीद–बिक्री तथा रिटर्न का विवरण टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर के द्वारा दाखिल कराने की सुविधा होगी।
- यदि व्यापारी स्वयं की करदेयता अथवा कर दर निश्चित नहीं कर पाता है तो उसे अस्थायी कर निर्धारण की सुविधा होगी।
- व्यापारी को कर भुगतान हेतु NEFT/RTGS, डेबिट – क्रेडिट कार्ड से पेमेन्ट की नई सुविधा दी गयी है।
- कमिश्नर को कर भुगतान हेतु समय बढ़ाने अथवा स्वतः निर्धारित या स्वीकृत कर के अतिरिक्त राशि के भुगतान हेतु किस्तें निर्धारित करने का अधिकार होगा।
- जॉब वर्क की सुविधा जी0एस0टी0 में भी उपलब्ध होगी।

- ई–कामर्स कम्पनियों द्वारा अपने ऑनलाईन प्लेटफार्म से की जा रही आपूर्ति पर सरकार द्वारा निर्धारित दर पर स्रोत पर ही कर कटौती कर ली जाएगी परिणामत: प्रवेश कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी।
- निर्यात पर करदेयता शून्य होगी परन्तु पूर्व खरीदों पर आई0टी0सी0 अनुमन्य होगी।
- वस्तु तथा सेवा के बीच की अस्पष्टता को दूर करने के लिए द्वितीय अनुसूची का प्रावधान किया गया है। इसमें कार्य संविदा आपूर्ति, लीज पर देना, तथा रेस्टोरेन्ट आपूर्ति को सेवाओं की आपूर्ति माना गया है। उपरोक्त वर्गीकरण से कर वर्गीकरण हेतु विवाद के अन्त की सम्भावना हैं।

जी0एस0टी0 के नियम तथा उपनियम

- जी0एस0टी0 लागू करने से पूर्व इस हेतु नियम तथा उपनियम बना लेना भी एक महत्वपर्ण आवश्यकता है। यह कार्य केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। सी0बी0ई0सी0 द्वारा इस हेतु एक कार्यकारी समूह का गठन किया गया है तथा आठ नियमों एवं चार प्रारूपों को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

- **आई0टी0 सम्बन्धी तैयारी**
- जी0एस0टी0 लागू करने हेतु एक सदृढ सूचना प्रौद्योगिकी संरचना एक अनिवार्य आवश्यकता है तथा इस हेतु 'स्पेशल परपज व्हीकल' के रूप में जी0एस0टी0एन0 (GSTN) की स्थापना की गयी है। यह केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, करदाताओं तथा अन्य स्टेकहोल्डर्स को सहभागिता आधारित नेटवर्क उपलब्ध कराएगा। जी0एस0टी0एन0 के कार्यो में पंजीयन हेतु सुविधा देना, रिटर्न को केन्द्रीय तथा राज्य के अधिकारियों को भेजना, IGST की गणना एवं सेटलमेन्ट, कर भुगतानों का बैंकों से मिलान, रिटर्न के आधार पर विभिन्न MIS रिपोर्ट उपलब्ध कराना, करदाताओं की प्रोफाईल का अनुशीलन कर आंकडे उपलब्ध कराना तथा ITC मैचिंग, रिवर्सल आदि शामिल है।
- जी0एस0टी0एन0 द्वारा एक कॉमन जी0एस0टी0 पोर्टल बनाया जा रहा है। जिस पर पंजीयन, रिटर्न, पेमेन्ट तथा MIS रिपोर्ट के ढांचे उपलब्ध होंगे। जी0एस0टी0एन0 द्वारा वर्तमान कर प्रणालियों में प्रयोग हो रहे आई0टी0 सिस्टम से भी स्वयं को जोड़ा जा रहा है। जी0एस0टी0एन0 द्वारा कुछ राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों के बैक एण्ड माड्यूल का भी निर्माण एवं रखरखाव किया जाएगा। इन राज्यों में उत्तराखण्ड भी शामिल है। बैक एण्ड माड्यूल बनाए जाएंगे। अन्य राज्यों एवं CBEC के द्वारा जी0एस0टी0 बैक एण्ड सिस्टम स्वयं बनाने का निर्णय लिया गया है, जी0एस0टी0 के फ्रन्ट एण्ड सिस्टम का बैकएण्ड सिस्टम से इन्टीग्रेशन कर इसे पूर्ण कर लिया जाना जी0एस0टी0 युग में जाने हेतु आवश्यक है।

जी0एस0टी0—समस्या एवं समाधान

प्रश्न (1) वस्तु एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) किन पर आरोपित होगा ?
उत्तर : वस्तु एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर आरोपित किया जाएगा

प्रश्न (2) जी0एस0टी0 में कर की दरें क्या होगी ?
उत्तर : जी0एस0टी0 में वस्तुवार कर की दर जी0एस0टी0 काउन्सिल द्वारा तय की जाएगीं काउन्सिल द्वारा अभी शून्य प्रतिशत, 03 प्रतिशत, 05 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत एवं 28 प्रतिशत कर दरें वर्गीकृत की गई हैं

प्रश्न (3) कर की ये दरें सी.जी.एस.टी. की हैं या एस.जी.एस.टी. की ?
उत्तर : कर की ये दरें सी.जी.एस.टी. और एस.जी.एस.टी. दानों मिलाकर अर्थात् दोनों का जोड़ है

प्रश्न (4) क्या जी0एस0टी0 में प्रत्येक व्यापारी का वार्षिक कर निर्धारण होगा?
उत्तर : जी0एस0टी0 में प्रत्येक व्यापारी अपने द्वारा रिटर्नो में घोषित कर दायित्व के आधार पर स्वयं कर निर्धारित माना जाएगा तथा केवल ऑडिट हेतु चुने गए व्यापारियों का कर निर्धारण होगां

प्रश्न (5) ऑडिट हेतु कितने व्यापारी चुने जाएगें?
उत्तर : जी0एस0टी0 काउन्सिल में हुई सहमति के अनुसार 5 प्रतिशत व्यापारी ऑडिट हेतु चयनित होगें

प्रश्न (6) जी0एस0टी0 में ऑडिट क्या व्यापारी के व्यापार स्थल पर ही होगा ?
उत्तर : अधिकारियों द्वारा प्रत्येक मामले में लेखापरीक्षा व्यापार स्थल पर ही जाकर करने की आवश्यकता नहीं हैं इसे विभागीय कार्यालय मे भी किया जा सकता है

प्रश्न (7) क्या व्यापारी को आडिट की पूर्व सूचना दी जाएगी तथा इसे कितने दिनों में पूर्ण करना होगा ?
उत्तर : ऑडिट प्रारम्भ करने से कम से कम 15 दिन पूर्व इसकी सूचना दी जाएगीं आडिट पारदर्शी तरीके से किया जाएगा तथा इसे प्रारम्भ करने की तिथि से तीन माह में पूर्ण करना होगां

प्रश्न (8) क्या जी0एस0टी0 में फार्मो की कोई व्यवस्था रहेगी?
उत्तर : नहीं, जी0एस0टी0 में फार्मो की कोई व्यवस्था प्रस्तावित नहीं हैं

प्रश्न (9) क्या जी0एस0टी0 में व्यापारियों पर केन्द्र एवं राज्य के अधिकारियों का दोहरा नियंत्रण होगा?
उत्तर : नहीं, जी0एस0टी0 काउन्सिल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार एक व्यापारी पर केवल एक ही अधिकारी का क्षेत्राधिकार होगां

प्रश्न (10) प्रवर्तन के मामलों में केन्द्र अथवा राज्य के अधिकारियों में से किसका क्षेत्राधिकार होगा?
उत्तर : उपरोक्त मामलों में दोनों को अधिकार प्राप्त होगें

प्रश्न (11) क्या पंजीकृत व्यापारी द्वारा प्रदेश बाहर से की गई खरीद पर अदा किए गए कर का लाभ उसे उत्तराखण्ड में प्राप्त होगा?
उत्तर : हाँ, आई0जी0एस0टी0 के रूप में अदा की गई उपरोक्त कर की धनराशि की आई0टी0सी0 का लाभ व्यापारी उत्तराखण्ड में ले सकेगा

प्रश्न (12) यदि देहरादून के किसी व्यापारी द्वारा हरिद्वार के किसी व्यापारी को कोई कर योग्य आपूर्ति की जाती है तो वह उस पर कौन सा कर वसूल करेगा?
उत्तर : उक्त स्थिति में टैक्स इनवाइस जारी कर एस0जी0एस0टी0 तथा सी0जी0एस0टी0 वसूल किया जाएगा.

प्रश्न (13) उत्तराखण्ड के किसी व्यापारी द्वारा उत्तराखण्ड के बाहर के व्यापारी को सप्लाई की जाती है, उस बिल पर कौन–सा कर वसूला जाएगा ?
उत्तर : इस स्थिति में व्यापारी बिल पर आई.जी.एस.टी. वसूल करेगा जो एस. जी.एस.टी. एवं सी.जी.एस.टी. का जोड़ होगा.

प्रश्न (14) जी0एस0टी0 लागू होने की तिथि को व्यापारी के पास उपलब्ध स्टाक पर आई0टी0सी0 की क्या स्थिति होगी ?
उत्तर : जी0एस0टी0 लागू होने की तिथि के ठीक पूर्व की तिथि से सम्बन्धित रिटर्न में अवशेष आई0टी0सी0 का लाभ व्यापारी को देय होगा

प्रश्न (15) व्युत्क्रम प्रभार (रिवर्स चार्ज) आधार पर क्या है ?

उत्तर : सामान्य परिस्थितियों में आपूर्तिकर्ता कर वसूल कर जमा करता है परंतु किन्ही विशेष परिस्थितियों में यथा आपूर्तिकर्ता के अपंजीकृत होने पर, आदि स्थिति में कर जमा करने का दायित्व प्राप्तकर्ता का हो जाता हैं इस स्थिति को जहाँ कर जमा करने का दायित्व आपूर्तिकर्ता (या विक्रेता) से हटकर प्राप्तकर्ता (या क्रेता) पर आ जाता है, तब इसे व्युत्क्रम प्रभार (रिवर्स चार्ज) आधार पर कर अदा करना कहा जाता हैं

प्रश्नोत्तरी (FAQs)

जी0एस0टी0 सिस्टम पोर्टल में विद्यमान करदाताओं के नामांकन हेतु सामान्यत: पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

भाग–अ : सामान्य जानकारी

1. **विद्यमान करदाता कौन है ?**

   विद्यमान करदाता एक इकाई है जो निम्न किन्हीं अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत है–

   1. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
   2. सेवा कर
   3. राज्य विक्रय कर/ मूल्य वंर्धित कर (विशिष्ट मदिरा व्यवसायी जो मूल्य वंर्धित कर में पंजीकृत है, को छोड़कर)
   4. प्रवेश कर
   5. विलासिता कर
   6. मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लगाये जाने वाले कर को छोड़कर)

2. **जी0एस0टी0 पोर्टल में शब्द "Enrollment" (नामांकन) का अर्थ क्या है ?**

   जी0एस0टी0 के अन्तर्गत Enrollment का अर्थ विद्यमान करदाताओं के डाटा को मान्य करना तथा आवश्यक जानकारियों की प्रविष्टि करना है।

3. **क्या मुझे जी0एस0टी0 के लिये "Enrollment" (नामांकन) कराने की आवश्यकता है ?**

   प्रश्न क्रमांक एक के अंतर्गत अधिनियमों में पंजीकृत सभी विद्यमान करदाताओं को, जो पंजीकृत हैं जिन्हें जी0एस0टी0 के अंतर्गत पंजीकृत होना पड़ेगा। जी0एस0टी0 हेतु नामांकन, जी0एस0टी0 कर प्रणाली में बाधारहित अंतरण सुनिश्चित करेगा। विभिन्न कर प्राधिकारियों के पास उपलब्ध डाटा अपूर्ण है, अत: नवीन नामांकन की योजना बनाई गई हैं। यह जी0एस0टी0 डाटा बेस में वर्तमान डाटा की उपलब्धता को बिना किसी संशोधन प्रक्रिया के सुनिश्चित करेगा जो आज की तिथि में कर अधिनियम के अंतर्गत डेटा को अद्यतन करने का मानक है।

4. **जी0एस0टी0 सिस्टम पोर्टल में मुझे यूजर के रूप में "Enrollment" (नामांकन) की आवश्यकता क्यों है ?**

   इस उद्देश्य के लिये जी0एस0टी0 सिस्टम पोर्टल का सृजन किया गया है

क्योंकि जी0एस0टी0 सिस्टम में किसी प्रकार का पेपर आधारित नामांकन मान्य नहीं होगा इसलिए जी0एस0टी0 सिस्टम पोर्टल का निर्माण किया गया है। आपको जी0एस0टी0 सिस्टम पोर्टल में यूजर के रूप में नामांकन कराने की जरूरत होगी जो आपको जी0एस0.टी0 अनुपालन आवश्यकताओं जैसे विवरणी की प्रविष्टि करना, कर का भुगतान करना आदि में सक्षम बनायेगी।

5. **जी0एस0टी0 पोर्टल सिस्टम में मुझे कब नामांकित होने की आवश्यकता पड़ेगी ?**

प्रश्न क्रमांक एक के अंतर्गत अधिनियमों में पंजीकृत उन सभी विद्यमान करदाता को जी0एस0टी सिस्टम पोर्टल में नामांकन करने की आवश्यकता पड़ेगी। राज्य वैट तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति अक्टूबर 2016 से जी0एस0टी0 सिस्टम पोर्टल में बताये गये योजना के अंतर्गत, जी0एस0टी0 सिस्टम पोर्टल में नामांकन प्रारंभ कर चुके हैं। सेवा कर के अंतर्गत पंजीकृत करदाता को अन्य तिथि में नामांकित किया जायेगा जिसके लिये पृथक से सूचना जारी की जायेगी। पुनः 01 जून से Enrollment प्रारंभ हो गया है।

6. **जी0एस0टी0 सिस्टम पोर्टल में क्या deemed enrollment की कोई परिकल्पना की गयी है ?**

नहीं, जी0एस0टी0 सिस्टम पोर्टल में deemed enrollment नहीं है। प्रश्न क्रमांक एक के अंतर्गत अधिनियमों में पंजीकृत सभी विद्यमान करदाताओं से आशा की जाती हे कि वे जी0एस0टी0 सिस्टम पोर्टल में जाकर स्वयं को नामांकित करें।

7. **क्या जी0एस0टी0 सिस्टम पोर्टल में नामांकन के लिये किसी प्रकार का कोई शुल्क/प्रभार वसूल किया जायेगा ?**

नहीं, जी0एस0टी0 सिस्टम पोर्टल में करदाता के नामांकन हेतु किसी प्रकार का शुल्क/प्रभार निर्धारित नहीं है।

8. **क्या प्रश्न क्रमांक एक में वर्णित केन्द्र/राज्य/संघ शासित कर अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत करदाताओं के लिये अलग–अलग नामांकन प्रक्रिया है?**

नहीं, केन्द्र/राज्य/संघ शासित कर अधिनियमों जैसा कि प्रश्न क्रमांक एक में वर्णित के अन्तर्गत, पंजीकृत सभी करदाताओं हेतु नामांकन की प्रक्रिया सामान है।

9. **क्या करदाताओं को जी0एस0टी0 के अंतर्गत केन्द्र तथा राज्य के प्राधिकारियों के पास अलग–अलग नामांकन कराने की आवश्यकता है?**

नहीं, कोई भी व्यक्ति जो जी0एस0टी0 अधिनियम के अंतर्गत नामांकन करने की

इच्छा रखता है को जी0एस0टी0 सिस्टम पोर्टल में आवेदन करना होगा। जी0एस0टी0 के अंतर्गत नामांकन केन्द्रीय जी0एस0टी0 तथा राज्य जी0एस0टी0 के लिए एक ही होगा। केन्द्र जी0एस0टी0 तथा राज्य जी0एस0टी0 के लिये एक पंजीयन, एक विवरणी तथा एक चालान की व्यवस्था है।

10. **अस्थायी आई0डी0 का क्या प्रारूप (format) है ?**

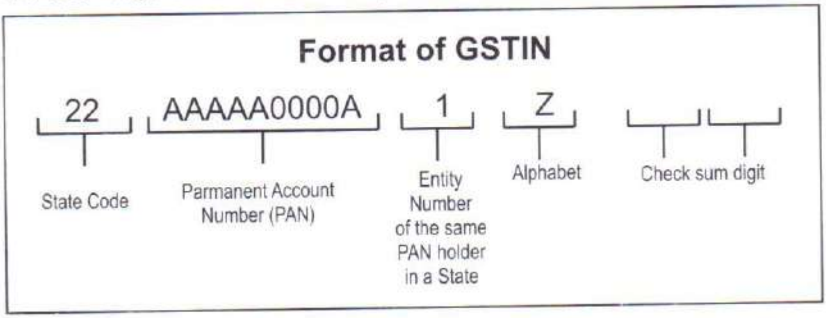

11. **जी0एस0टी0 में नामांकन करने से पूर्व मेरे पास कौन सी जानकारी उपलब्ध होनी चाहिये ?**

जी0एस0टी0 सिस्टम पोर्टल में नामांकन करने से पूर्व आप निम्न जानकारी/दस्तावेज को अपने पास सुनिश्चित करेंगे –

1. केन्द्र/ राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त अस्थायी आई0डी0
2. केन्द्र/राज्य प्राधिकारियों से प्राप्त पासवर्ड
3. वैध ई–मेल एड्रेस
4. वैध मोबाइल नंबर
5. बैंक खाता का क्रमांक
6. बैंक का आई0एफ0एस0सी0 कोड
7. दस्तावेज

अ. व्यवसाय के गठन का प्रमाण :

1. **पार्टनरशिप फर्म के संबंध में** : पार्टनरशिप फर्म की पार्टनरशिप डीड (पी0डी0एफ0 तथा जे0पी0ई0जी0 फॉरमेट में अधिकतम साईज –01 एम0बी0)
2. **अन्य के मामले में** : व्यवसायिक इकाई का पंजीयन प्रमाण पत्र (पी0डी0एफ0 तथा जे0पी0ई0जी0 फॉरमेट में अधिकतम साईज –01 एम0बी0)

ब. अविभाजित हिन्दू परिवार (एच0यू0एफ0) के प्रमोटर/पार्टनर/कर्त्ता का फोटोग्राफ (जे0पी0ई0जी0 फॉरमेट में अधिकतम साईज – 100 के0बी0)

स. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की नियुक्ति का साक्ष्य (पी0डी0एफ0 तथा जे0पी0ई0जी0 फॉरमेट में अधिकतम साईज –01 एम0बी0)

द. प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का फोटोग्रॉफ (जे0पी0ई0जी0 फॉरमेट में अधिकतम साईज –100 के0बी0)

ध. बैंक पास बुक/स्टेटमेंट के प्रथम पृष्ठ जिसमें बैंक का खाता क्रमांक, बैंक ब्रांच का पता, खाताधारक का पता तथा कुछ संव्यवहारों का विवरण हो (पी0डी0एफ0 तथा जे0पी0ई0जी0 फॉरमेट में अधिकतम साईज – 01 एम0बी0)

भाग–ब : सिस्टम संबंधित विशिष्ट जानकारी

12. प्रथम बार लॉगिंन करते समय मुझे कौन सा यूजर नेम प्रविष्टि करना होगा ? क्या मैं वही यूजर नेम और पासवर्ड प्रविष्ट कर सकता हूँ जो मैं राज्य के पंजीकृत व्यवसायी के रूप में लॉगिन करते समय उपयोग किया कतरा था?

प्रथम बार लॉगिन करते समय आपको वही यूजर नेम तथा पासवर्ड प्रविष्ट करना होगा जो आपके द्वारा राज्य वैट/केन्द्र कर विभागों से प्राप्त किया गया था, तत्पश्चात लॉगिन करने के लिये आपको जी0एस0टी0 सिस्टम पोर्टल में नामांकन करते समय बनाये गये यूजर नेम तथा पासवर्ड की प्रविष्टि करनी पड़ेगी।

13. प्रथम बार लॉगिन करने के पश्चात् मुझे यूजर आई0डी0 का चयन किस प्रकार करना होगा?

आप अपने सुविधा के अनुरूप किसी भी यूजर आई0डी0 का चयन कर सकते हैं परंतु वह डाटाबेस में उपलब्ध होना चाहिए।

14. मुझे जी0एस0टी0 में "Enrollment" (नामांकन) करने हेतु यूजर नेम तथा पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है, मुझे अब क्या करना होगा?

यदि आपको यूजर नेम तथा पासवर्ड प्राप्त नहीं हुआ है तो आप अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित राज्य–प्राधिकारियों से संपर्क कर सकते है।

15. जी0एस0टी0 में "Enrollment" (नामांकन) करने के दौरान क्या मैं अपने कर सलाहकार का ई'–मेल एंड्रेस तथा मोबाईल नंबर दे सकता हूँ?

नहीं, आपको अपने कर सलाहकार या किसी अन्य का मोबाईल नंबर तथा ई–मेल एड्रेस नहीं देना चाहिये। आपको अपना अथवा अपने द्वारा अधिकृत प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ई–मेल एड्रेस तथा मोबाईल नंबर ही प्रस्तुत करना चाहिये। भविष्य में जी0एस0टी0 सिस्टम पोर्टल पर सभी पत्राचार/संपर्क पंजीकृत मोबाईल नंबर तथा ई–मेल एड्रेस पर ही भेजे जायेंगे।

जी0एस0टी0 सिस्टम में कर सलाहकारों को पृथक से यूजर आई0डी0 तथा पासवर्ड प्रदान किया जायेगा तथा उक्त उद्देश्य के लिये उनके द्वारा स्वयं का मोबाईल नंबर तथा ई–मेल आई0डी0 प्रदान किया जाना होगा।

16. प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता कौन हो सकेंगे ?

प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता वह व्यक्ति होगा जो करदाता के लिये प्राथमिक तौर पर जी0एस0टी0 सिस्टम पोर्टल पर करदाता की ओर से कार्यवाही करने के लिये उत्तरदायी होगा। करदाता से संबंधित सभी सूचनायें जी0एस0टी0 सिस्टम पोर्टल के माध्यम से उसे ही भेजी जायेगी। उदाहरणार्थ– स्वामित्व के संबंध में स्वयं स्वामी अथवा उसके द्वारा कोई प्राधिकृत व्यक्ति, पार्टनरशिप के संबंध में कोई भी प्राधिकृत पार्टनर अथवा कोई अन्य प्राधिकृत व्यक्ति, कंपनी/एल0एल0पी0 सोसायटी, ट्रस्ट के संम्बन्ध में बोर्ड अथवा गवर्निंग बॉडी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में कार्य कर सकता है। प्राधिकार पत्र की प्रति को अपलोड करना आवश्यक होगा।

किसी एक व्यवसायिक इकाई के लिये एक से अधिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के मामले में एक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में चिन्हित करना होगा तथा उस व्यक्ति का ई–मेल आई.डी. व मोबाईल नंबर नामांकन के समय उपलब्ध करना होगा।

किसी व्यवसायिक इकाई में एक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता होने के मामले में उसे उस व्यवसायिक इकाई का प्राथमिक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता मान लिया जायेगा।

17. ओ.टी.पी. कितने समय के लिए वैध होगा ?

आपके ई–मेल एड्रेस तथा मोबाईल नंबर पर भेजा गया ओ.टी.पी. पन्द्रह मिनट के लिए वैध होगा। पन्द्रह मिनट पश्चात् इसकी वैधता नहीं रहेगी।

18. मुझे अपने मोबाईल नंबर पर ओ.टी.पी. प्राप्त नहीं हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए ?

जी.एस.टी. सिस्टम पोर्टल पर आपका ओ.टी.पी. आपके पंजीकृत मोबाईल नंबर तथा ई–मेल आई.डी. पर भेजा जायेगा। अगर आपके द्वारा 15 मिनट के अंदर ओ.टी.पी. प्राप्त नहीं किया गया है तो आप RESEND OTP बटन पर क्लिक करके पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

19. RESEND OTP बटन पर क्लिक करने के बावजूद भी यदि ओ0टी0पी0 प्राप्त नहीं होता है तो क्या करना होगा ?

RESEND OTP बटन पर क्लिक करने के पश्चात् यदि आपको एस.एम.एस. के माध्यम से आपके मोबाईल नंबर पर ओ.टी.पी. प्राप्त नहीं होता है तो कृपया यह जांच कर ले कि आपके द्वारा किया गया मोबाईल नंबर सही है अथवा नहीं।

20. मुझे दो ओ.टी.पी ई–मेल तथा मोबाईल के लिए क्यों भेजे गए हैं?

आपके ई–मेल एड्रेस तथा मोबाईल नंबर की पुष्टि करने हेतु पृथक से उनसे ओ.टी.पी. भेजा जाता है इसीलिए दो ओ.टी.पी. भेजे जाते हैं।

जी.एस.टी. सिस्टम पोर्टल से भविष्य के सभी पत्राचार पंजीकृत ई–मेल एड्रेस तथा मोबाईल नंबर पर भी भेजे जायेंगे अतः मोबाईल नंबर तथा ई–मेल एड्रेस दोनों की पुष्टि करना आवश्यक है।

21. मेरे द्वारा अपने मोबाईल पर ओ.टी.पी. प्राप्त किया गया है मैंने उसी ओ.टी.पी. की प्रविष्टि E-mail OPT तथा Mobile OPT के लिए ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन पेज पर किया है। क्या ये ओ.टी.पी अलग–अलग है ?

आपको अपने ई–मेल एड्रेस व मोबाईल नंबर पर दो अलग–अलग वन टाईम पासवर्ड (ओ.टी.पी.) प्राप्त हुआ होगा। अपने ई–मेल एड्रेस पर प्राप्त ओ.टी.पी. की प्रविष्टि E-mail OPT पर तथा अपने मोबाईल नंबर पर प्राप्त ओ.टी.पी. की प्रविष्टि Mobile OPT में क्रमशः करें। यदि अपने अपने दोनों फील्ड ई–मेल व मोबाईल ओ.टी.पी. में एक ही ओ.टी.पी. प्रविष्ट किया है तो error message के साथ आपका सत्यापन असफल हो जायेगा।

22. जी.एस.टी. में नामांकन के लिए नामांकन आवेदन पत्र में कौन–कौन से विवरण पहले से भरे गये है ?

नामांकन आवेदन पत्र में आपके पूर्ववर्ती डाटा से निम्नलिखित विवरण स्वतः शामिल कर लिये गये है–

- व्यवसाय का PAN
- व्यवसाय का वैध नाम
- राज्य
- पंजीयन प्राप्त करने के लिए देयता का कारण
- जी.एस.टी. सिस्टम पोर्टल में नामांकन के दौरान प्रविष्ट किये गये मुख्य प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का ई–मेल एड्रेस व मोबाईल नंबर

23. नामांकन आवेदन पत्र में प्रविष्टि किये जाने वाले स्थान के बाजू में दिखाई पड़ने वाले लाल asterisk(*) क्या बताता है ?

लाल asterisk (*) अनिवार्य प्रविष्टि बताता है। नामांकन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए लाल asterisk से चिन्हित किसी जगह में प्रविष्टि करना अनिवार्य होगा।

24. क्या मैं नामांकन आवेदन पत्र में अपने Legal Name, State Name और PAN में परिवर्तन कर सकता हूँ ?

नामांकन आवेदन पत्र में दिखाई पड़ रहे Legal Name, State Name और PAN में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। जो भी स्थिति हो, ये विवरण केंद्र या राज्य के पूर्ववर्ती टैक्स सिस्टम से लिये गये हैं।

25. मैं अपने राज्य अधिकार क्षेत्र का कैसे पता लगाऊंगा ?

आपने राज्य अधिकार क्षेत्र जानने के लिए वैट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखें। आपके वर्तमान वैट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का अधिकार क्षेत्र ही इसका भी अधिकार क्षेत्र होगा।

26. मैं अपने Ward/Circle/Sector नंबर का कैसे पता लगाऊंगा ?

अपने Ward/Circle/Sector नंबर जानने के लिए अपना वैट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखें।इसका तक/Circle/Sector वही है जहां आप पंजीकृत है।

27. मैं अपने केंद्रीय अधिकार क्षेत्र का कैसे पता लगाऊंगा ?

यदि आप केंद्रीय उत्पाद शुल्क उत्पाद में पंजीकृत है तो अपना केंद्रीय अधिकार क्षेत्र जानने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देखें।

यदि आप सिर्फ वैट रजिस्टर्ड डीलर है तो आपके मुख्य व्यवसाय स्थल के पते पर आधारित अपना केंद्रीय अधिकार क्षेत्र ढूंढना पड़ेगा। आप पूरी जानकारी के लिए CBEC Website www.cbec.gov.in में जायें।

(refer URL - http://www.cbec.gov.in/resources//htdocscbec/deptt offcr/cadre-restruct/cadre-restructg-notifications.pdf)

28. मुझसे कोई भी दस्तावेज अपलोड नहीं हो रहा है, क्यों ?

सर्वप्रथम आप अपने इंटरनेट कनेक्शन को चेक करें। आप यह भी सुनिश्चित कर लें कि जो दस्तावेज आप अपलोड कर रहे हैं वह पी0डी0एफ0 या जे0पी0ई0जी0 फार्मेट में हो जिसकी अधिकतम साईज एक एम0बी0 हो। यदि फोटो अपलोड कर रहे हैं तो वह जे0पी0ई0जी0 फार्मेट में हो जिसकी साईज 100 के0बी0 हो।

29. फार्म की प्रविष्टि करते समय मेरे द्वारा बिजनेस डिटेल पृष्ठ पर सभी विवरणों की प्रविष्टि की गई है परन्तु अब सभी प्रविष्टियाँ खाली दिख रही हैं, क्यों ?

पृष्ठ की सभी प्रविष्टियों को करने के पश्चात् आपको पेज सेव करना पड़ेगा। पृष्ठ के निचले भाग में सेव एंड कन्टीन्यू बटन को क्लिक करके सभी प्रविष्टियों को सुरक्षित (Save) करें, तत्पश्चात् अन्य विवरणों की प्रविष्टि करने के लिए आगे बढ़ें।

30. DIN क्या है ?

DIN का आशय Director Identification Number है जो किसी कंपनी के डायरेक्टर को Ministry of Corporation Affairs के द्वारा जारी किया गया है। DIN को जानने के लिए Ministry of Corporation Affairs के द्वारा जारी DIN Allotment Letter को देखें अथवा MCA Portal - www.mca.gov.in पर जायें।

31. मेरे पास आधार नंबर नहीं है, क्या आधार नंबर प्रस्तुत करना अनिवार्य है ?

नामांकन आवेदन भरने के लिए आधार अनिवार्य नहीं है, परन्तु जी0एस0टी0 सिस्टम पोर्टल में नामांकन आवेदन जमा करते समय आपको DSC अथवा आधार नम्बर आधारित E-Sign इस्तेमाल करना पड़ेगा।

32. व्यवसाय का मुख्य स्थान क्या है ?

व्यवसाय का मुख्य स्थान राज्य के भीतर वह प्राथमिक स्थान है जहाँ से करदाता का व्यवसाय संचालित होता है। व्यवसाय का मुख्य स्थान सामान्यतः वह स्थान है जहाँ व्यवसाय से संबंधित लेखा पुस्तकें तथा दस्तावेज रखे जाते हैं तथा अक्सर जहाँ व्यवसाय का मुख्य व्यक्ति अथवा टॉप मैनेजमेंट स्थित है।

33. व्यवसाय का अतिरिक्त स्थान क्या है ?

व्यवसाय का अतिरिक्त स्थान वह स्थान है जहाँ करदाता अपने मुख्य स्थान के अलावा राज्य के भीतर अपने व्यवसाय से संबंधित कार्य करता है।

34. HSN तथा SAC Code क्या है ?

HSN से आशय ''हार्मोनाईज्ड सिस्टम ऑफ नौमेनक्लेचर'' से है, जो वस्तुओं की वर्गीकरण में एकरूपता बनाये रखने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं का स्वीकृत कोडिंग सिस्टम है।

सर्विस एकॉउन्टिंग कोड (SAC) को सेवाओं की पहचान करने के लिए सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ एक्साईज एंड कस्टम (CBEC) के द्वारा अपनाया गया है।

35. जी0एस0टी0 सिस्टम पोर्टल पर नामांकन करते समय मुझे कौन से बैंक खाते की जानकारी देनी होगी ?

व्यवसायिक संव्यवहार में इस्तेमाल किए जाने वाले बैंक खाते की जानकारी जी0एस0टी0 सिस्टम पोर्टल में नामांकन के समय प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

36. मेरे पास एक से अधिक बैंक खाते हैं, जी0एस0टी0 सिस्टम पोर्टल में नामांकन करते समय क्या मैं उन सभी की प्रविष्टि कर सकता हूँ ?

जी0एस0टी0 पोर्टल सिस्टम पर नामांकन करते समय आप अधिकतम 10 बैंक खातों की जानकारी जोड़ सकते हैं।

37. नामांकन के लिए क्या DSC अनिवार्य है ?

कम्पनी, विदेशी कम्पनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (LLPs) तथा विदेशी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप (FLLPs) हेतु DSC अनिवार्य है। अन्य करदाताओं के लिए DSC वैकल्पिक है। वे DSC के स्थान पर e-sign का प्रयोग कर सकते हैं।

38. जी0एस0टी0 सिस्टम पोर्टल में मेरा DSC पंजीकृत नहीं है, क्या मैं अपने नामांकन आवेदन को DSC के साथ प्रस्तुत कर सकता हूँ ?

आपके द्वारा नामांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा यदि जी0एस0टी0 सिस्टम पोर्टल में आपकी DSC पंजीकृत नहीं है। अतः आपको जी0एस0टी0 सिस्टम पोर्टल में "Register Your DSC" पर क्लिक कर DSC पंजीकृत करवाना होगा।

39. जी0एस0टी0 पोर्टल में अपने DSC को मैं कैसे पंजीकृत कर सकता हूँ ?

यदि आपके पास वैध DSC है, तो आप GST सिस्टम पोर्टल में जाकर "Register Your DSC" लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। CBDT के PAN डाटाबेस से DSC धारक के PAN का मिलान होना चाहिये। मिलान होने के पश्चात् यूजर को उस सर्टिफिकेट लिंक का चयन करना चाहिये जिसे पंजीकृत किया जाना है, सिर्फ वर्ग–2 या वर्ग–3 DSC ही GST सिस्टम पोर्टल में पंजीकृत हो सकते हैं।

40. E-Sign क्या है ? यह कैसे काम करता है ?

E-Sign से आशय है, इलैक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। E-Sign एक इलैक्ट्रॉनिक डिजिटल सेवा है जो आधार धारक को दस्तावेजों में डिजिटल हस्ताक्षर करने की सुविधा प्रदान करता है। यदि आवेदक E-Sign. सर्विस का इस्तेमाल करते हुए

इलैक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर करने में विकल्प का चयन करता है तो निम्न कार्य किये जाने होंगे –

करदाता को "E-Sign." बटन पर क्लिक करना होगा।

सिस्टम अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को आधार नंबर की प्रविष्टि करने के लिए कहेगा –

1. आधार नंबर के पुष्टिकरण के पश्चात् जी0एस0टी0 सिस्टम पोर्टल UIDAI सिस्टम को One Time Password (OTP) भेजने के लिए अनुरोध करेगा।

2. UIDAI सिस्टम आधार नंबर से जुड़े मोबाईल नंबर तथा ई-मेल एड्रेस पर One Time Password (OTP) भेजेगा।
   सिस्टम यूजर को One Time Password (OTP) प्रविष्टि करने के लिए कहेगा।
   यूजर One Time Password (OTP) की प्रविष्टि करेगा तथा दस्तावेज जमा करेगा। "E-Signing" प्रक्रिया पूर्ण हुई।

41. नामांकन के लिए आवेदन करने हेतु क्या कोई शुल्क लागू है ?

नहीं, नामांकन के लिए आवेदन हेतु जी0एस0टी0 सिस्टम पोर्टल में कोई भी शुल्क लागू नहीं है।

42. ARN क्या है ?

ARN, Application Reference Number है जो E-sign. अथवा Digital Signature (DSC) के साथ नामांकन आवेदन जमा करने के पश्चात् जारी होता है। यह एक विशिष्ट संख्या है जो जी0एस0टी0 सिस्टम पोर्टल में प्रत्येक संव्यवहार के पूर्ण होने पर जारी होती है।

43. ARN का प्रारूप क्या है ?

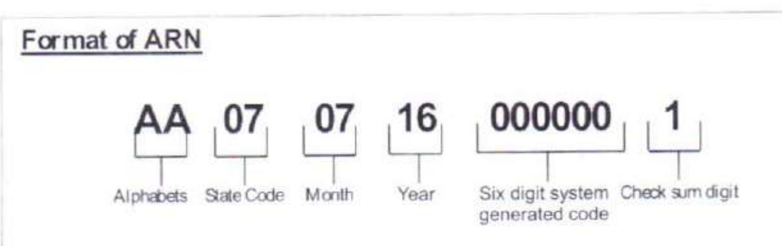

44.मैं केन्द्रीय उत्पाद/सेवा कर तथा राज्य वैट अधिनियम के अन्तर्गत विद्यमान करदाता हूँ। जी0एस0टी0 कानून के तहत निर्धारित आवेदन में मेरे द्वारा जी0एस0टी0एन0 अनुसार माँगी गई समस्त जानकारी सफलतापूर्वक प्रस्तुत की जा चुकी है, आगे क्या होगा ?

नामांकन आवेदन के सफलतापूर्वक जमा किये जाने पर जी0एस0टी0एन0 सिस्टम पोर्टल पर Application Reference Number (ARN) जारी होगा। आपके द्वाराARN का इस्तेमाल अपने आवेदन की स्थिति को जानने के लिये किया जा सकता है।

45.मुझे अभी तक Application Reference Number (ARN) प्राप्त नहीं हुआ है, अब मुझे क्या करना चाहिये ?

अगर पन्द्रह मिनट के भीतर आपको ARN प्राप्त नहीं हुआ है तो आपको एक ई–मेल भेजा जायेगा, जिसमें आगे की कार्यवाही हेतु विस्तृत निर्देश होंगे।

46.जानकारी की प्रविष्टि करते समय मेरा इंटरनेट कनेक्शन बंद हो गया। सुरक्षित की हुई नामांकन फार्म को मैं कैसे पुन: प्राप्त कर सकता हूँ ?

सुरक्षित किये हुए नामांकन फार्म को पुन: प्राप्त करने के लिए जी0एस0टी0एन0 सिस्टम पोर्टल में सही परिचय के साथ लॉगिन करें। Dashboard > My Saved Application Menu में जायें। नामांकन फार्म को पुन: प्राप्त करने के लिये Edit बटन पर क्लिक करें।

47.मुझे एक ई–मेल प्राप्त हुआ है कि PAN के मिलान के दौरान PAN Mismatch हुआ है, अब मुझे क्या करना चाहिये ?

आपको पुन: जी0एस0टी0 सिस्टम पोर्टल पर लॉगिन करना होगा तथा अपने PAN की जानकारी के अनुसार जानकारियों की प्रविष्टि कर पुन: नामांकन आवेदन जमा करना होगा।

48.मेरे DSC की अवधि समाप्त हो गयी है/निरस्त हो गया है। अब मुझे क्या करना चाहिये ?

आपको अपने वैध DSC को पुन: पंजीकृत कराना होगा। जी0एस0टी0 सिस्टम पोर्टल पर सही परिचय के साथ लॉगिन करें। Dashboard > Register > Update DSC मेनु में जायें। निरस्तीकरण के मामले में जी0एस0टी0 सिस्टम पोर्टल पर अन्य वैध DSC को पंजीकृत कराना होगा।

49. क्या कोई हैल्प डेस्क सुविधा उपलब्ध होगी ?
हाँ, यह जी0एस0टी0 सिस्टम पोर्टल पर प्रदर्शित होगी।

भाग–स : निर्धारित तिथि के बाद की गतिविधियाँ

50. क्या नामांकन का आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है ?
हाँ, यदि आपने अपने E-Sign या अपने DSC सहित जी0एस0टी0 सिस्टम पोर्टल में त्रुटिपूर्ण अथवा जाली अथवा गलत दस्तावेज उपलब्ध कराया है/अपलोड किया है तो जी0एस0टी0 सिस्टम पोर्टल में नामांकन निरस्त किया जा सकता है। हालाँकि यदि आवेदक करदाता अपना पक्ष प्रस्तुत करता है तो उसे सुने जाने हेतु उचित अवसर उपलब्ध कराया जायेगा।

51. क्या मैं नामांकन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद संशोधन कर सकता हूँ ?
आप नियत तिथि (जी0एस0टी0 लागू होने की तिथि) एवं उसके बाद वाले दिन से नामांकन आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं।

52. क्या मैं नामांकन के समय दिया हुआ अपना मोबाईल नंबर और ई–मेल आई0डी0 बदल सकता हूँ ?
आप नामांकन आवेदन पत्र के समय दिया गया मोबाईल नंबर एवं ई–मेल आई0डी0 नियत तिथि (जी0एस0टी0 लागू होने की तिथि) एवं उसके बाद संशोधन प्रक्रिया के माध्यम से बदल सकते हैं।

53. मुझे अस्थायी पंजीयन प्रमाणपत्र कब प्राप्त होगा ?
यदि आपने नामांकन आवेदन पत्र सफलतापूर्वक भर लिया है तो नियत तिथि पर आपके Dashboard पर यह उपलब्ध होगा।

54. मुझे स्थायी (Final) पंजीयन प्रमाणपत्र कब प्राप्त होगा ?
केन्द्र/राज्य के संबंधित अधिकार क्षेत्र के सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी पंजीयन प्रमाणपत्र दस्तावेजों के सत्यापन पश्चात् (छः माह के भीतर) नियत तिथि को उपलब्ध कराया जायेगा।

वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत पंजीकरण के संबंध में "FAQ"

प्र01 : जी0एस0टी0 में पंजीकरण करवाने के क्या लाभ हैं ?

उत्तर: वस्तु एवं सेवा कर (जी0एस0टी0) के अन्तर्गत पंजीकरण से व्यवसाय को निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे –

–वस्तुओं और सेवाओं के आपूर्तिकर्ता के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त होगी।

–अपने खरीदारों से कानूनी तौर पर कर वसूल करने तथा वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर खरीदार या प्राप्तकर्ता अदा किए गए कर का क्रेडिट लेने के लिए अधिकृत होगें।

प्र0 2 : क्या बिना जी0एस0टी0 पंजीकरण के व्यक्ति आई0टी0सी0 और कर एकत्र कर सकता है ?

उत्तर: नहीं। बिना जी0एस0टी0 पंजीकरण के कोई भी व्यक्ति न तो अपने ग्राहकों से जी0एस0टी0 एकत्र कर सकता है और न ही अपने द्वारा भुगतान किये गये जी0एस0टी0 के किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकता है।

प्र0 3 : पंजीकरण की प्रभावी तिथि क्या होगी ?

उत्तर: यदि व्यक्ति पंजीयन का दायी होने के 30 दिनों के भीतर आवेदन कर देता है तब पंजीकरण की प्रभावी तिथि उसके पंजीकरण के अपने दायित्व की तिथि होगी।

प्र0 4 : जी0एस0टी0 कानून के अंतर्गत कौन व्यक्ति पंजीकरण लेने के लिए उत्तरदायी हैं ?

उत्तर: कोई भी आपूर्तिकर्ता जो भारत के किसी भी स्थान से व्यापार कर रहा है और जिसकी कुल बिक्री एक वित्तीय वर्ष में सीमा रू0 20 लाख से अधिक है वह पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है। उत्तराखण्ड तथा विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए यह सीमा 10 लाख रखी गयी है।

एक किसान को कराधीन व्यक्ति नहीं माना जायेगा और वह पंजीकरण करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

प्र0 5: कुल बिक्री क्या है ?

उत्तर: सी.जी.एस.टी./एस.जी.एस.टी. अधिनियम (CGST/SGST) की धारा 2(6) के अनुसार, कुल बिक्री में कुल मूल्य शामिल है :

(i) एक ही पैन धारक व्यक्ति की अखिल भारतीय आधार पर–सभी कर योग्य और गैर–कर योग्य आपूर्तियाँ

(ii) छूट प्राप्त आपूर्तियाँ, और

(iii) माल अथवा सेवाओं का निर्यात मूल्य

(iv) अंतर्राज्यीय आपूर्ति का मूल्य

प्र0 6 : कौन से मामलों में पंजीकरण अनिवार्य है ?

उत्तर: निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से निर्धारित सीमा की परवाह किये बिना पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा –

क) व्यक्ति जो किसी प्रकार की अंतर–राज्य कराधीन आपूर्ति करता हो।

ख) नैमित्तिक (Casual) कराधीन व्यक्ति

ग) वे व्यक्ति जिन्हें रिवर्स प्रभार के अंतर्गत कर भुगतान करना आवश्यक है.

घ) अनिवासी (एन0आर0आई0) कराधीन व्यक्ति

ङ) वे व्यक्ति जिन्हें धारा 51 के अधीन कर की कटौती करना आवश्यक है.

च) इनपुट सेवा वितरक/डिस्ट्रीब्यूटर.

छ) किसी अन्य व्यक्ति की ओर से चाहे एजेण्ट के रूप में अथवा अन्यथा माल और/या सेवाओं के आपूतिकर्ता

ज) प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर.

झ) इलैक्ट्रोनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति करने वाले।

ट) ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग जिन्हें परिषद की सिफारिशों पर केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है।

ठ) ऑनलाइन सूचना अथवा डाटाबेस पहुंच या रिट्रीवल सेवाएं भारत के बाहर से उपलब्ध कराने वाला व्यक्ति, पंजीकृत व्यक्ति के अलावा।

प्र0 7 : जी0एस0टी0 कानून के अन्तर्गत पंजीकरण लेने के लिए क्या समय सीमा है ?

उत्तर: कोई भी व्यक्ति जिस तिथि को वह पंजीकरण करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है, उस तिथि के तीस दिनों के भीतर उसे पंजीकरण करा लेना चाहिये।

प्र0 8 : यदि एक व्यक्ति एक ही पैन नंबर के साथ अलग–अलग राज्यों में व्यवसाय संचालित कर रहा है, क्या वह एक ही पंजीकरण के साथ व्यवसाय संचालित कर सकता है ?

उत्तर : नहीं। प्रत्येक वह व्यक्ति जो पंजीकरण लेने के लिए उत्तरदायी है, उसे प्रत्येक उन राज्यों में अलग–अलग पंजीकरण लेना आवश्यक है जहाँ पर वह व्यवसाय संचालित कर रहा है और जी0एस0टी0 कानून के अंतर्गत जी0एस0टी0 का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

प्र0 9.: क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि एक व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से पंजीयन प्राप्त करें हालांकि तब जब वह जी.एस.टी. का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं भी है?

उत्तर : हाँ, स्वेच्छा से स्वयं को पंजीकृत किया जा सकता है, और इस अधिनियम के सभी प्रावधानों के रूप में जो एक पंजीकृत कराधीन व्यक्ति पर लागू होते हैं, उस व्यक्ति पर भी लागू होंगे।

प्र 10.: क्या पंजीकरण प्राप्त करने के लिए स्थायी खाता संख्या (पैन) अनिवार्य है?

उत्तर : हां। पंजीकरण प्राप्त करने की पात्रता के क्रम में आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन जारी किया गया स्थायी खाता संख्या (पैन) रखना अनिवार्य होगा।

प्र 11.: क्या सक्षम अधिकारी के माध्यम से विभाग, इस अधिनियम के अंतर्गत स्वत: एक व्यक्ति को पंजीकृत करा सकता है?

उत्तर : हां। जहां एक व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किये जाने के लिये उत्तरदायी है और पंजीकरण करवाने में विफल रहता है, सक्षम अधिकारी, ऐसे व्यक्ति को उस ढंग से पंजीकृत करने के लिए कार्यवाही कर सकता है जिसे अधिनियम में निर्धारित किया जाये।

प्र 12. : क्या एक सक्षम अधिकारी पंजीकरण के लिये किये गये आवेदन को अस्वीकार कर सकता है?

उत्तर: हां। सक्षम अधिकारी विधिवत सत्यापन के बाद पंजीकरण के लिए किये गये आवेदन को अस्वीकार कर सकता है। हालांकि, सक्षम अधिकारी पंजीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) के लिये किये गये आवेदन को कारण बताओ नोटिस और व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना अस्वीकार नहीं करेगा।

प्र 13. : क्या किसी व्यक्ति को प्रदान किया गया पंजीकरण स्थायी है ?

उत्तर : हां, एक बार पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने पर वह स्थायी हो जाता है जब तक कि उसे रद्द, निलंबित या वापस नहीं ले लिया जाता है।

प्र 14.: क्या दूतावास या अन्य श्रेणी के अधिसूचित व्यक्तियों को पंजीयन लेना आवश्यक है ?

उत्तर: संयुक्त राष्ट्र के सभी निकायों के वाणिज्य दूतावासों या विदेशी देशों के दूतावासों और किसी भी अन्य वर्ग के व्यक्तियों को जिन्हें अधिसूचित किया

गया है उन्हें जी.एस.टी. पोर्टल से एक विशिष्ट पहचान संख्या (UIN) प्राप्त करना आवश्यक होगा। कथित आईडी की संरचना जी.एस.टी.आई.एन. के अनुरूप सभी राज्यों में एक समान होगी और वह केंद्र और राज्यों के लिए भी एक समान होगी। इस यू.आई.एन. की जरूरत उनके द्वारा करों के भुगतान की वापसी का दावा करने और किसी अन्य प्रयोजन के लिये होगी, जिसे जी.एस.टी. नियमों में निर्धारित किया जाये।

प्र 15.: क्या सरकारी संगठन या दूतावासों के लिए पंजीकरण करना आवश्यक है?

उत्तर: सरकारी प्राधिकरणों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.)को जो जी.एस.टी. माल की आगे आपूर्ति नहीं कर रहे, वाणिज्य दूतावासों या विदेशी देशों के दूतावासों और किसी भी अन्य वर्ग के व्यक्तियों को जिन्हें अधिसूचित किया गया है उन्हें संबंधित राज्य कर प्राधिकारियों द्वारा जी.एस.टी. पोर्टल के माध्यम से एक विशिष्ट पहचान संख्या (आई.डी.) प्रदान की जायेगी।

प्र 16.: एक casual dealer व्यक्ति कौन है ?

उत्तर: एक casual dealer का मतलब ऐसे व्यक्ति से है जो किसी भी राज्य में कमी कभार कर योग्य लेनदेन करता है, जहां पर उसके व्यापार का निश्चित स्थान नहीं है।

प्र 17.: अप्रवासी/एन.आर.आई. कराधीन व्यक्ति कौन है ?

उत्तर: यह एक कराधीन व्यक्ति है जो भारत से बाहर निवास करता है और कभी कभार भारत में आकर लेनदेन करता है, लेकिन भारत में उसका कोई स्थायी व्यावसायिक स्थान नहीं है।

प्र 18.: एक casual dealer और अप्रवासी कराधीन व्यक्ति को जारी किये पंजीकरण प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि क्या है ?

उत्तर: पंजीकरण का प्रमाण पत्र एक "casual dealer कराधीन व्यक्ति" और –अप्रवासी कराधीन व्यक्ति '' को जारी किये गये पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की प्रभावी तिथि से नब्बे दिन की अवधि तक वैध होगी। हालांकि, सक्षम अधिकारी कथित कराधीन व्यक्ति के निवेदन पर, उपरोक्त अवधि की वैधता को नब्बे दिन की अवधि तक बढ़ा सकता है।

प्र 19.: क्या पंजीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन करने की अनुमति है ?

उत्तर: हां सक्षम अधिकारी, इस तरह की जानकारी जो उसे पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दी गई है या उसने स्वयं उसका पता लगाया है के आधार पर पंजीकरण विवरणों में संशोधन स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है और उस अवधि के भीतर जैसा निर्धारित की जाये।

प्र 20.: क्या पंजीकरण प्रमाणपत्र के रद्दीकरण की अनुमति है ?

उत्तर : हां अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किये गये पंजीकरण को सक्षम अधिकारी द्वारा रद्द किया जा सकता है। सक्षम अधिकारी, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या आवेदन करने पर, निर्धारित तरीके से, पंजीकृत कराधीन व्यक्ति द्वारा या ऐसे व्यक्ति की मौत के मामले में उसके कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा, पंजीकरण को इस तरीके और उस अवधि के भीतर रद्द कर सकता है, जिस रूप में वह निर्धारित किया जाये।

प्र 21.: क्या सी.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण रद्द करने का अर्थ एस.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत भी रद्द करना है ?

उत्तर: हां सी.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण रद्द करना दूसरे अधिनियम अर्थात एस.जी.एस.टी. अधिनियम के अंतर्गत भी पंजीयन रद्द करना माना जाएगा। यही स्थिति एसजीएसटी अधिनिय के अंतगर्त पंजीयन रद्द करने पर होगी।

प्र 22.: क्या सक्षम अधिकारी स्वयं पंजीयन रद्द कर सकता है ?

उत्तर : हां, कुछ निश्चित परिस्थितियों में, सक्षम अधिकारी अपने स्वयं के विवेक पर पंजीकरण रद्द कर सकता है। इन परिस्थितियों में लगातार छह महीने की अवधि के लिये रिटर्न नहीं भरना (एक आम व्यक्ति के लिये) समाधान अपनाए व्यक्ति द्वारा लगातार तीन कर अवधियों के लिए रिटर्न दाखिल न करने पर, धोखे से पंजीयन लेने, स्वैच्छिक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा पंजीयन की तारीख से छह महीने के भीतर व्यापार शुरू नहीं करना शामिल है। हालांकि, पंजीकरण रद्द करने से पहले, सक्षम अधिकारी को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना होगा।

प्र 23.: क्या जी.एस.टी. विधि के अंतर्गत सेवाओं के पंजीकरण के लिये केंद्रीकृत विकल्प उपलब्ध है ?

उत्तर : नहीं।

प्र 24.: एक आई.एस.डी. (Input Service Distributor) कौन है ?

उत्तर: आई.एस.डी. या आगत (इनपुट) सेवा वितरक/डिस्ट्रीब्यूटर से तात्पर्य ऐसे कार्यालय से है जिसका प्रमुख काम इनपुट सेवाओं की प्राप्ति कर चालान/बिल प्राप्त करना है और आगे आपूर्तिकर्ता को अनुपात में क्रेडिट वितरित करना है।

प्र 25.: क्या आई.एस.डी. को मौजूदा करदाता पंजीकरण के अतिरिक्त पृथक पंजीकृत करना आवश्यक होगा ?

उत्तर: हां। आई.एस.डी. पंजीकरण एक कार्यालय के लिए है जो कि सामान्य पंजीकरण से अलग होगा।

प्र 26: क्या एक करदाता के एक राज्य में एक से अधिक पंजीयन (GSTN) हो सकते है ?

उत्तर: हां। एक करदाता के यदि एक ही राज्य में एक से अधिक business vertical संचालित हो तो वह प्रत्येक vertical के लिए अलग–अलग पंजीयन ले सकता है।

प्र 27: क्या वे सभी निर्धारिती/डीलरों जो पहले से ही मौजूदा केंद्रीय उत्पाद/सेवा कर/वैट कानून के अंतर्गत पंजीकृत है उन्हें नया पंजीकरण प्राप्त करना होगा ?

उत्तर: नहीं। जी.एस.टी.एन. उन सभी निर्धारिती/डीलरों को जी.एस.टी.एन. नेटवर्क पर स्थानांतरित कर देगा और उन्हें एक जी.एस.टी.आई.एन. और पासवर्ड जारी करेगा। उन्हें एक निर्धारित अवधि के भीतर पंजीकरण के लिए आवश्यक सभी जरूरी दस्तावेज और जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। ऐसा करने में विफल रहने का परिणाम उनके जी.एस.टी.आई.एन के रद्द में परिणत होगा। सेवा कर निर्धारिती जिनके पास केंद्रीकृत पंजीकरण है उन्हें अपने संबंधित राज्यों में जहां से वे अपना व्यापार संचालित कर रहे हैं नये सिरे से पंजीकरण के लिये आवेदन करना होगा।

प्र 28: क्या जॉब वर्कर/कार्यकर्ताओं का पंजीकृत होना अनिवार्य होगा ?

उत्तर: नहीं।

प्र 29.: क्या पंजीकरण के समय क्या निर्धारिती को अपने सभी व्यवसायिक स्थल घोषित करने होगे?

उत्तर : हां। प्रमुख व्यावसायिक स्थल और व्यावसायिक स्थल को क्रमशः अलग अलग परिभाषित किया गया है। करदाता को पंजीकरण प्रपत्र में प्रमुख व्यवसायिक स्थल के साथ साथ अपने सारे अतिरिक्त व्यावसायिक स्थलों का ब्यौरा घोषित करना होगा।

प्र 30.: क्या जी.एस.टी.आई.एन. पंजीकरण में डिजीटल हस्ताक्षर के लिए कोई सुविधा उपलब्ध है?

उत्तर: करदाताअें के पास, प्रस्तुत किये गये आवेदन पर वैध डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग के साथ हस्ताक्षर करने का विकल्प होगा (यदि आवेदक को किसी अन्य प्रचलित कानून के अंतर्गत डीएससी प्राप्त करना आवश्यक है तब उसे उसी का उपयोग करते हुए अपने पंजीकरण आवेदन को प्रस्तुत करना होगा) जिन व्यक्तियों के पास डिजिटल हस्ताक्षर नहीं है, पंजीकरण पर जी.एस.टी. नियमों में उन्हें वैकल्पिक तंत्र (e-sign) प्रदान किया जाएगा।

प्र 31.: ऑनलाईन आवेदन पर निर्णय के लिए क्या समय सीमा होगी ?

उत्तर: यदि सूचनाएं तथा अपलोड किये गये दस्तावेज सही क्रम में पाये जाते हैं, तब राज्य और केंद्रीय प्राधिकारी आवेदन को स्वीकृति दे देंगे और उस स्वीकृति को तीन सामान्य काम के दिनों के भीतर आम पोर्टल पर संचारित कर देंगे। पोर्टल उसके बाद अपने आप पंजीकरण प्रमाणपत्र सृजित कर देगा। किसी मामले में यदि दोनों कर प्राधिकरणों द्वारा आवेदक को तीन सामान्य काम के दिनों के भीतर किसी कमी के बारे में सूचित नहीं किया जाता तब पंजीकरण को स्वीकृत मान लिया जायेगा।

प्र 32. : यदि ऑनलाईन आवेदन में कोई प्रश्न उठाया जाता है तब आवेदक द्वारा उत्तर करने के लिए कितना समय होगा ?

उत्तर : यदि सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान, कोई कर प्राधिकारी कोई प्रश्न उठता है, कोई त्रुटि सूचित करता है तो उसके बारे में तीन सामान्य कार्य दिवसों के भीतर जी.एस.टी. के आम पोर्टल के माध्यम से आवेदक और अन्य कर प्राधिकरणों को सूचित किया जाएगा। आवेदन को प्रश्नों के जवाब/त्रुटि को सुधारना/संबंधित कर अधिकारियों द्वारा सूचित अवधि के भीतर प्रश्नों के उत्तर देना होगा।(आम तौर पर यह अवधि सात दिन होगी)।

प्र 33. : पंजीकरण से इन्कार करने की क्या प्रक्रिया है ?

उत्तर : यदि पंजीकरण से इन्कार कर दिया जाता है, आवेदक को सुस्पष्ट आदेश के माध्यम से इस तरह की अस्वीकृति के कारणों के बारे में सूचित किया जायेगा।

प्र 34. : क्या जी.एस.टी.एन. पोर्टल से पंजीकरण प्रमाणपत्र डाउनलोड किया जा सकता है ?

उत्तर : यदि पंजीकरण प्रदान किया जाता है तो आवेदक जी.एस.टी. पोर्टल से पंजीकरण प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते है।

वस्तु एवं सेवा कर (GST) में विवरणी (Return) के सम्बन्ध में FAQ

प्र 1 : विवरणी (Return) क्या है ?

उत्तर : विवरणी (Return) एक सावधिक विवरण (periodic statement) है, जिसे एक पंजीकृत करयोग्य व्यक्ति द्वारा किसी समय विशेष में संपन्न की गयी व्यापारिक कार्यविधि को तथा उससे उत्पन्न करदायित्व को व्यक्त करने के लिए निर्धारित समयावधि के भीतर दाखिल किया जाता है।

प्र 2. : क्या वस्तु एवं सेवा कर (GST) में मूल्य वर्धित कर/प्रवेश कर/ सुख–साधन कर/मनोरंजन कर/सेवा कर/उत्पाद शुल्क इत्यादि के लिए अलग–अलग विवरणी (Return) दाखिल करनी होगी ?

उत्तर : नहीं, क्योंकि उपरोक्त सभी अप्रत्यक्ष करों को वस्तु एवं सेवा कर (GST) में सम्मिलित कर दिया गया है इसलिए वस्तु एवं सेवा कर (GST) से संबंधित विवरणी ही दाखिल करनी है।

प्र 3. : वस्तु एवं सेवा कर (GST) में कितने प्रकार की विवरणी (Return) दाखिल करने का प्राविधान है तथा विवरणी (Return) दाखिल करने की समयावधि क्या है?

उत्तर : वस्तु एवं सेवा कर (GST) में दाखिल की जाने वाली विवरणी (Return) उसके संलग्नक तथा उनकी समयावधि निम्न प्रकार है–

GSTR-1 Outward Supply (बाह्य/जावक आपूर्ति) मासिक/उत्तरवर्ती माह की 10 तारीख तक।

GSTR-2 Inward Supply (आंतरिक/आवक आपूर्ति) मासिक/उत्तरवर्ती माह की 15 तारीख तक।

GSTR-3 Monthly Return मासिक/उत्तरवर्ती माह की 20 तारीख तक।

GSTR-4 Quarterly Return for compounding Taxable persons त्रैमासिक/प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति के पश्चात उत्तरवर्ती माह की 18 तारीख तक।

GSTR-5 Return for Non-Resident foreign taxable person अनिवासी विदेशी करयोग्य व्यक्ति को पंजीयन निरस्तीकरण के एक सप्ताह के भीतर या यदि व्यापार एक माह तक चलता है तो माह समाप्ति के 20 दिन के अन्दर।

GSTR-6 ISD return इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (आगत सेवा वितरक) को प्रत्येक माह की समाप्ति के पश्चात उत्तरवर्ती माह की 13 तारीख तक।

GSTR-7 Return for authorities deducting tax at source स्रोत पर कर कटौती करने वाले व्यक्ति प्रत्येक माह की समाप्ति के पश्चात उत्तरवर्ती माह की 10 तारीख तक।

GSTR-8 Details of inward supplies effected through e-commerce operator and the amount of tax collected.

GSTR-9 Annual Return प्रत्येक पंजीकृत कर योग्य व्यक्ति को, (इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (ISD), अनिवासी करयोग्य व्यक्ति (Non Resident Taxable Person), समाधान योजना अपनाने वाले व्यक्ति, स्रोत पर कर कटौती करने वाले व्यक्ति एवम ई–कामर्स आपूतिकर्ता व्यक्ति को छोड़कर) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात उत्तरवर्ती वित्तीय वर्ष के 31 दिसम्बर तक दाखिल करना है।

GSTR-10 Final Return प्रत्येक पंजीकृत करयोग्य व्यक्ति जिसके द्वारा पंजीयन निरस्तीकरण हेतु आवेदन–पत्र दिया गया है, पंजीयन निरस्तीकरण की तिथि अथवा पंजीयन निरस्तीकरण आदेश की तिथि, जो भी पश्चातवर्ती हो, के तीन माह के भीतर।

GSTR-11 Details of inward supplies to be furnished by a person having UIN.

प्र 4 : मेरे द्वारा सामान्य क्रम में खरीद/बिक्री/निर्माण कार्य किया जाता है, मुझे कौन सा रिटर्न दाखिल करना होगा और उसकी प्रक्रिया क्या होगी ?

उत्तर : एक सामान्य पंजीकृत करदाता को प्रत्येक माह की समाप्ति के पश्चात उत्तरवर्ती माह की 10 तारीख तक अपने द्वारा एक माह के अंदर की गयी Outward Supply (बाह्य/जावक आपूर्ति) का विवरण GSTR-1 में तथा एक माह के अन्दर की गयी inward Supply (अंतः/आवक आपूर्ति) का विवरण GSTR-2 में उत्तरवर्ती माह की 15 तारीख तक दाखिल करना होगा, तत्पश्चात अपने समस्त Input/output का विवरण, जमा किये गये कर/ब्याज/शुल्क इत्यादि देयताओं के साथ GSTR-3 में उत्तरवर्ती माह की 20 तारीख तक GST Common Portal पर दिया जाना है। उपरोक्त तीनों प्रारूप आने के पश्चात ही आपकी रिटर्न दाखिल की गई मानी जायेगी।

प्र 5 : मेरे द्वारा समाधान योजना (compounding) का विकल्प लिया गया है, मुझे किस प्रारूप में अपनी सावधिक रिटर्न दाखिल करनी होगी। क्या मुझे भी GSTR-1, 2 - 3 के रूप में Outward/Inward इत्यादि आपूर्ति का विवरण देना होगा ?

उत्तर : नहीं, आपको मात्र GSTR-4 में अपनी सावधिक विवरणी (Return) प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात उत्तरवर्ती माह की 18 तारीख तक दाखिल करनी होगी।

प्र 6 : मेरे द्वारा किसी माह की अपनी समस्त देयताओं का भुगतान नहीं किया गया है तो क्या मैं उस माह की विवरण (Return) दाखिल कर पाउंगा ?

उत्तर : आपकी विवरणी (Return) short filer तो दाखिल हो जायेगी तथा प्राप्तकर्ता को आई.टी.सी. भी अस्थाई तौर पर प्राप्त हो जाएगी परन्तु अगली कर अवधि में ऐसी आई.टी.सी. की राशि ब्याज सहित प्राप्तकर्ता के कर दायित्व में जोड़ दी जाएगी।

प्र 7 : यदि आपूतिकर्ता द्वारा मुझे की गई आपूर्ति में से कुछ आपूर्तियां अपनी GSTR-1 में नहीं दर्शायी गई है तो क्या मुझे ITC का लाभ मिलेगा अथवा ऐसी स्थिति में, मैं ITC क्लेम किस प्रकार कर सकता हूँ ?

उत्तर : यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी व्यक्ति को की गई आपूर्ति किन्हीं कारणों से अपने GSTR-1 में नहीं दर्शायी गई है तो आपको उस पर ITC नहीं मिलेगा किन्तु आपूर्तिकर्ता द्वारा अपलोड की गई GSTR-1 से प्रारूप GSTR-2A आपके Login पर Auto Populate होगा जिसके आधार पर आप द्वारा उन Inward supplies को GSTR-2 में घोषित किया जा सकता है। ऐसी घोषित की गई Inward supplies पुन: GSTR-1 A के रूप में आपके आपूर्तिकर्ता के Login पर Auto Populate हो जाएगी। यदि आपूतिकर्ता द्वारा उसे स्वीकृत दी जाती है तभी आपको ITC का लाभ देय होगा।

प्र 8 : क्या मुझे अपनी Outward/Inward supplies घोषित करने के लिए GSTR-1 एवं GSTR-2 के साथ समस्त Invoice की Scanned copy भी अपलोड करनी होगी ?

उत्तर : नहीं, आपको केवल Invoice से संबंधित कुछ आवश्यक सूचनायें ही अपलोड करनी है, न कि Invoice की Scanned copy।

प्र 9 : क्या ISD dealer को भी Outward एवं Inward विवरणी अलग–अलग देना होगी ?

उत्तर : नहीं ISD dealer को केवल GSTR-6 में अपनी विवरणी (Return) दाखिल करनी है जिसमें उसे संबंधित समस्त सूचनायें अपलोड करनी होगी।

प्र 10 : वार्षिक विवरणी Annual Return किसे दाखिल करनी होगी?

उत्तर : धारा 51 और 52 के तहत कर की कटौती/संग्रह करने वाले व्यक्ति, इनपुट सेवा वितरक, अनैत्यिक कर योग्य व्यक्ति तथा अप्रवासी कर योग्य व्यक्ति को छोड़कर प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को वार्षिक विवरणी दाखिल करनी है।

प्र 11 : ऐसे कौन से करदाता हैं जिन्हें वार्षिक विवरणी दाखिल नहीं करनी है ?

उत्तर : Casual Taxpayer, Non Resident Taxpayer, Input Service provider एवं TDS Deducor तथा TCS संग्राहक को कोई वार्षिक विवरणी (Annual Return) दाखिल नहीं करनी है।

प्र 12 : क्या विवरणी (Return) केवल online ही दाखिल की जा सकती है ?

उत्तर : नहीं, वस्तु एवं सेवा कर (GST) में online के साथ–साथ ofline विवरणी (Return) भी दाखिल की जा सकती है।

प्र 13 : क्या वार्षिक विवरणी (Annual Return) एवं अंतिम विवरणी (Final return) से तात्पर्य एक ही विवरणी है (Return) ?

उत्तर : नहीं, वार्षिक विवरणी (Annual Return) सभी साधारण एवं समाधान योजना (compounding) अपनाने वाले करदाताओं के लिए निर्धारित है जबकि अंतिम विवरणी (Final return) ऐसे पंजीकृत करदाता को दाखिल करनी है जो धारा–39(1) के तहत मासिक रिर्टन दाखिल करता हो व जिसका पंजीयन निरस्त कर दिया गया हो।

प्र 14 : अंतिम विवरणी (Final return) दाखिल करने से अंतिम तिथि क्या होगी ?

उत्तर : अंतिम विवरणी (Final return) पंजीयन निरस्त होने के पश्चात तीन माह के भीतर दाखिल की जानी है।

प्र 15 : अगर एक विवरणी (Return) दाखिल कर दी गई है और उसमें कोई त्रुटि बाद में सामने आती है तो उसे किस प्रकार संशोधित/रिवाईज किया जा सकता है ?

उत्तर : वस्तु एवं सेवा कर (GST) में प्रत्येक रिटर्न सव्यवहार आधारित (Tranaction based) है अतः उसको सशोधित करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु किसी भी इनवॉयस से संबंधित Debit/Credit note का विवरण आगामी वित्तीय वर्ष की 30 सितम्बर से पूर्व या वार्षिक विवरणी (Annual

Return) दाखिल करने से पूर्व दोनों में से जो भी पहले हो, GSTR-1/2 में निर्धारित कॉलम (स्तम्भ) में घोषित किया जा सकता है तद्नुसार ही करदायित्व भी स्वयं संशोधित हो जायेगा।

प्र 16 : GSTR-1 क्या है ?

उत्तर : GSTR-1 एक निर्धारित प्रारूप है, जिसमें प्रत्येक माह में की गयी वस्तुओं और सेवाओं की बाह्य/जावक आपूति (outward supply) को व्यक्त किया जाता है।

प्र 17 : GSTR-1 किसे दाखिल करना है और कब ?

उत्तर : GSTR-1 प्रत्येक पंजीकृत करयोग्य व्यक्ति को, (इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (ISD), अनिवासी करयोग्य व्यक्ति (Non Resident Taxable Person), समाधान योजना अपनाने वाले व्यक्ति, स्रोत पर कर कटौती करने वाले व्यक्ति एवम ई–कामर्स आपूतिकर्ता व्यक्ति को छोड़कर) प्रत्येक माह की समाप्ति के पश्चात उत्तरवर्ती माह की 10 तारीख तक दाखिल करना है।

प्र 18 : GSTR-1 में वस्तुओं और सेवाओं की कौन–कौन सी बाह्य आपूर्ति (outward supply) दाखिल करनी है ?

उत्तर : GSTR-1 में वस्तुओं और सेवाओं की समस्त बाह्य आपूति (outward supply) दाखिल करनी है।

प्र 19 : GSTR-2 क्या है ?

उत्तर : GSTR-2 एक निर्धारित प्रारूप है जिसमें प्रत्येक माह में की गई वस्तुओं एवं सेवाओं की आंतरिक आपूर्ति (Inward supply) को घोषित किया जाता है।

प्र 20 : GSTR-2 किसे दाखिल करना है और कब ?

उत्तर : GSTR-2 प्रत्येक पंजीकृत करयोग्य व्यक्ति को, (इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (ISD), अनिवासी करयोग्य व्यक्ति (Non Resident Taxable Person), समाधान योजना अपनाने वाले व्यक्ति, स्रोत पर कर कटौती करने वाले व्यक्ति एवम ई–कामर्स आपूर्तिकर्ता व्यक्ति को छोड़कर) प्रत्येक माह की समाप्ति के पश्चात उत्तरवर्ती माह की 15 तारीख तक दाखिल करना है।

प्र 21 : GSTR-3 क्या है ?

उत्तर : GSTR-3 एक निर्धारित प्रारूप है जिसमें प्रत्येक माह में की गई वस्तुएं एवं सेवाओं की बाह्य/आंतरिक आपूति (Outward/Inward supply) को व्यक्त किया जाता है।

प्र 22 : GSTR-3 किसे दाखिल करना है और कब ?

उत्तर : GSTR-3 प्रत्येक पंजीकृत करयोग्य व्यक्ति को (इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (ISD), अनिवासी करयोग्य व्यक्ति (Non Resident Taxable Person), समाधान योजना अपनाने वाले व्यक्ति, स्रोत पर कर कटौती करने वाले व्यक्ति एवम ई–कामर्स आपूर्तिकर्ता व्यक्ति को छोड़कर) प्रत्येक माह की समाप्ति के पश्चात उत्तरवर्ती माह की 20 तारीख तक दाखिल करना है।

प्र 23 : GSTR-4 किसे दाखिल करना है और कब ?

उत्तर : GSTR-4 समाधान योजना अपनाने वाले व्यक्ति को प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के पश्चात उत्तरवर्ती माह के 18 तारीख तक दाखिल करना है।

प्र 24 : क्या वस्तु एवं सेवा कर में एक व्यक्ति का कई रिटर्न दाखिल करनी होगी ?

उत्तर : नहीं, एक सामान्य कर योग्य व्यक्ति को केवल GSTR-1, 2 एवं 3 ही दाखिल करना होगा, इसमें भी सर्वप्रथम GSTR-1 में एक माह के भीतर की गई समस्त बाह्य आपूति (outward supply) ही दाखिल करनी है, GSTR-1 में दाखिल की गई बाह्य आपूति ही प्रत्येक प्राप्तकर्ता को उसके Login पर आटो पापुलेट होकर दिखाई देगा, जिसके आधार पर प्राप्तकर्ता द्वारा GSTR-2 भरा जाएगा। GSTR-1 एवं 2 में भरी गई सूचनाएं आटो पापुलेट होकर प्रत्येक व्यापारी के Login पर दिखाई देगी, जिसके आधार पर GSTR-3 भरा जायेगा। इस प्रकार उक्त तीनों प्रारूप एक ही रिटर्न के भाग है।

इसके अतिरिक्त वस्तु एवं सेवा कर के अन्य रिटर्न जैसे GSTR-4, 5, 6, 7, 8, 10 एवं 11 एक विशेष वर्ग के करदाता द्वारा ही दाखिल किया जाना है, न कि प्रत्येक कर दाता द्वारा। इस प्रकार वस्तु एवं सेवा कर एक व्यक्ति को कई रिटर्न दाखिल नहीं करनी है।

वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत पेमेन्ट के सम्बंध में "FAQ"

प्रश्न1 : वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत कोई व्यक्ति कितने प्रकार से अपनी देयताओं का भुगतान कर सकता है?

उत्तर : वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत कोई व्यक्ति निम्न पाँच प्रकार से अपनी देयताओं का भुगतान कर सकता है :–

1-Internet banking
2-Credit/Debit card
3-NEFT
4-RTGS
5-OTC [over the counter payment]

प्रश्न 2 : अपनी देयताओं यथा कर, ब्याज, अर्थदण्ड, शुल्क अथवा अन्य कोई धनराशि का भुगतान व्यक्ति द्वारा कौन से खाते से किया जायेगा?

उत्तर : अपनी देयताओं यथा कर, ब्याज, अर्थदण्ड, शुल्क अथवा अन्य कोई धनराशि का भुगतान व्यक्ति द्वारा Electronic Cash Ledger से किया जायेगा।

प्रश्न 3 : Electronic Cash Ledger किस प्रारूप में रखा जायेगा?

उत्तर : Electronic Cash Ledger प्रारूप GST PMT 5 में रखा जायेगा।

प्रश्न 4 : व्यापारी के आई0टी0सी0 को किस खाते में रखा जायेगा ?

उत्तर : व्यापारी के आई0टी0सी0 को Electronic Credit Ledger से किया जायेगा।

प्रश्न 5 : Electronic Credit Ledger से किन देयताओं को भुगतान किया जा सकता है?

उत्तर : Electronic Credit Ledger से Output Tax (निर्गत कर) का भुगतान किया जा सकता है। इस ब्याज केवल अर्थदण्ड एवं अन्य देयताओं का भुगतान नहीं किया जा सकता है।

प्रश्न 6 : यदि Electronic Credit Ledger में उपलब्ध आई0टी0सी0 निर्गत कर (Output Tax) से अधिक है, तो उसे प्रयुक्त करने की क्या रीति है ?

उत्तर : यदि Electronic Credit Ledger में उपलब्ध आई0टी0सी0 निर्गत कर से अधिक है तो उसे निम्न प्रकार प्रयुक्त किया जायेगा –

(1) Electronic Credit Ledger में अन्तर्राज्यीय वस्तु एवं सेवाकर के संदर्भ में उपलब्ध आई0टी0सी0 का प्रयोग सर्वप्रथम अन्तर्राज्यीय वस्तु एवं सेवाकर के भुगतान तथा तदोपरान्त अवशेष धनराशि क्रमशः केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर तथा राज्य वस्तु एवं सेवाकर का भुगतान करने हेतु प्रयुक्त की जायेगी।

(2) Electronic Credit Ledger में केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर के संदर्भ में उपलब्ध आई0टी0सी0 का प्रयोग सर्वप्रथम केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर के भुगतान तथा तदोपरान्त अवशेष धनराशि अन्तर्राज्यीय वस्तु एवं सेवाकर के भुगतान हेतु प्रयुक्त की जायेगी।

(3) Electronic Credit Ledger में राज्य वस्तु एवं सेवाकर के संदर्भ में उपलब्ध आई0टी0सी0 का प्रयोग सर्वप्रथम राज्य वस्तु एवं सेवाकर के भुगतान तथा तदोपरान्त अवशेष धनराशि अन्तर्राज्यीय वस्तु एवं सेवाकर के भुगतान करने हेतु प्रयुक्त की जायेगी।

प्रश्न 7 : करदाता व्यक्ति की सभी देयताओं का रिकॉर्ड कहाँ रखा जायेगा ?

उत्तर : करदाता व्यक्ति की सभी देयताओं का रिकॉर्ड Electronic Tax Liability Register में रखा जायेगा।

प्रश्न 8 : करदाता व्यक्ति द्वारा अपने कर तथा अन्य देयकों का भुगतान किस क्रम में किया जायेगा ?

उत्तर : करदाता व्यक्ति द्वारा अपने कर तथा अन्य देयकों का भुगतान निम्न क्रम में किया जायेगा –

(1) पूर्वकर अवधियों की विवरणी से सम्बन्धित स्वतः कर निर्धारण (Self Assessed Tax) तथा अन्य देयक,

(2) वर्तमान कर अवधियों की विवरणी से सम्बन्धित स्वतः कर निर्धारण (Self Assessed Tax) तथा अन्य देयक,

(3) अन्य कोई भुगतान की जाने वाली कोई धनराशि।

प्रश्न 9 : करदाता व्यक्ति द्वारा अपने कर तथा अन्य देयकों यथा अर्थदण्ड, ब्याज इत्यादि का भुगतान किए जाने का क्या क्रम है ?

उत्तर : करदाता व्यक्ति द्वारा अपने कर तथा अन्य देयकों का भुगतान निम्न क्रम में किया जायेगा –

(1) अर्थदण्ड,

(2) ब्याज,

(3) कर, और

(4) शुल्क।

प्रश्न 10 : क्या विलम्ब से कर भुगतान किये जाने पर ब्याज की देयता होगी ?

उत्तर : हाँ।

प्रश्न 11 : O.T.C. Payment किस प्रकार किया जायेगा ?

उत्तर : O.T.C. Payment रूपये 10,000/– प्रति चालान/प्रति देय कर अवधि तक के भुगतान के लिए मान्य होगा, जोकि Cash/Cheque/D.D. के माध्यम से किया जा सकेगा। कतिपय संस्थाओं/प्राधिकृत अधिकारियों पर रूपये 10,000/– की सीमा लागू नहीं होगी।

प्रश्न 12 : ऐसी संस्थायें/प्राधिकृत अधिकारी कौन हैं, जिन पर O.T.C. Payment करने पर रूपये 10,000/– की सीमा लागू नहीं होगी ?

उत्तर : (1) Govt. Department या S.G.S.T Board / Commissioner द्वारा अधिकृत व्यक्ति,
(2) Proper Officer द्वारा यदि कोई Outstanding Due जमा करायी है जिसमें चल–अचल संपत्ति की कुर्की की गयी है,
(3) जाँच व प्रवर्तन इकाई के अधिकारी द्वारा Cash/Cheque/D.D से जमा करायी गयी धनराशि अथवा कोई adhoc जमा कराने हेतु राशि।

प्रश्न 13 : क्या OTC हेतु generate किये गये चालान की कोई नियत अवधि है ?

उत्तर : OTC हेतु generate किये गये चालान केवल 15 दिन के लिए वैध होगा। इसी प्रकार NEFT व RTGS हेतु Mandate Form की वैधता भी 15 दिन नियत की गयी है।

प्रश्न 14 : अपंजीकृत व्यापारी या व्यक्ति हेतु पेमेन्ट संबंधी क्या प्राविधान है ?

उत्तर : अपंजीकृत व्यक्ति को समुचित अधिकारी द्वारा भुगतान हेतु एक Temporary Identification Number दिया जायेगा जिसके माध्यम से भुगतान किया जायेगा।

प्रश्न 15 : CIN क्या है ?

उत्तर : CIN, Challan Identification Number है, जोकि उस बैंक द्वारा जनित किया जायेगा जिसमें उक्त धनराशि जमा की जा रही है।

प्रश्न 16 : CIN की उपयोगिता क्या है ?

उत्तर : CIN जनित होते ही भुगतान की गयी धनराशि व्यापारी के Electronic Cash Ledger में Credit हो जायेगी।

प्रश्न 17 : यदि भुगतान करने के उपरान्त भी CIN जनित नहीं होता है तो क्या करना होगा ?

उत्तर : जहाँ सम्बन्धित करदाता व्यक्ति द्वारा भुगतान कर दिया गया है परन्तु CIN जनित नहीं हुई है, वहाँ उक्त व्यक्ति कॉमन पोर्टल के माध्यम से प्ररूप GST PMT-07 में इसे दर्शा सकता है।

प्रश्न 18 : पृथक–पृथक भुगतान को पृथक–पृथक चिह्नित कैसे किया जा सकेगा ?

उत्तर : इस संबंध में प्रत्येक संव्यवहार हेतु एक Unique Identification No. जनित होगा तथा प्रत्येक Debit अथवा Credit, जैसी भी स्थिति हो, किये जाने पर यह Electronic Cash Ledger/Electronic Credit Ledger में प्रदर्शित होने लगेगा।

वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत रिफण्ड के संबंध में "FAQ"

प्रश्न 1 : रिफण्ड (वापसी) क्या है ?

उत्तर : रिफण्ड (वापसी) को वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 54 में वर्णित किया गया है, जिसके अन्तर्गत ऐसी वस्तु एवं सेवा पर दिये गये कर, जिसे देश से बाहर निर्यात कर दिया गया है अथवा डीम्ड निर्यात किया गया हो तथा अप्रयुक्त आई0टी0सी0 संबंधी धनराशि प्राप्त की जा सकती है। कर के अतिरिक्त ब्याज, अर्थदण्ड, शुल्क या कोई अन्य धनराशि जिसका भुगतान किया गया है, के रूप में जमा किए गए मद में भी रिफण्ड प्राप्त किया जा सकता है।

प्रश्न 2 : रिफण्ड (वापसी) के लिए आवेदन कैसे करना होगा ?

उत्तर : रिफण्ड के लिए आवेदन प्रारूप GST RFD-1 में इलैक्ट्रॉनिकली कॉमन पोर्टल पर अथवा बोर्ड या कमिश्नर द्वारा अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से करना होगा।

प्रश्न 3 : यदि इलैक्ट्रॉनिक कैश लेजर (Electronic Cash Ledger) में अवशेष धनराशि का रिफण्ड दावाकृत किया जाना है, तो इस संबंध में क्या प्रक्रिया है ?

उत्तर : इलैक्ट्रॉनिक कैश लेजर (Electronic Cash Ledger) में अवशेष धनराशि का रिफण्ड संगत कर अवधि की रिटर्न के साथ प्रारूप GST R - 3, प्रारूप GST R - 4 अथवा प्रारूप GST R - 7 में दावाकृत किया जा सकता है।

प्रश्न 4 : निर्यात किये गये माल के संबंध में रिफण्ड का आवेदन कब दिया जाना है?

उत्तर : निर्यात किये गये माल के संबंध में रिफण्ड का आवेदन माल की डिलीवरी जैसा कि कस्टम अधिनियम, 1962 की धारा 41 के अन्तर्गत प्राविधानित है, के संबंध में जारी किये गये एक्सपोर्ट मैनफैस्ट (Export Manifest) अथवा एक्सपोर्ट रिपोर्ट (Export Report), जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त होने पर किया जा सकेगा।

प्रश्न 5 : SEZ Unit (विशेष आर्थिक क्षेत्र) अथवा डेवलपर अथवा डीम्ड एक्सपोर्ट (Deemed Export) के संदर्भ में निर्धारित आपूर्तियों के संबंध में किसके द्वारा आवेदन किया जायेगा ?

उत्तर : SEZ Unit (विशेष आर्थिक क्षेत्र) अथवा डेवलपर अथवा डीम्ड एक्सपोर्ट (Deemed Export) के संदर्भ में निर्धारित आपूर्तियों के संबंध में रिफण्ड के लिए आवेदन पत्र ऐसी इकाई अथवा डेवलपर अथवा डीम्ड निर्यात आपूर्ति के प्राप्तकर्ता द्वारा दाखिल किया जा सकता है।

प्रश्न 6 : रिफण्ड के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले आवेदन पत्र हेतु कौन से दस्तावेज (Document) अथवा साक्ष्य आवश्यक हैं ?

उत्तर : रिफण्ड के लिए प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित दस्तावेज अथवा साक्ष्य होने अनिवार्य हैं –

(क) समुचित अधिकारी अथवा अपीलीय प्राधिकारी अथवा अन्य किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश की संदर्भ संख्या तथा प्रति,

(ख) माल के निर्यात के आधार पर दावाकृत रिफण्ड के मामले में शिपिंग बीजक अथवा निर्यात बीजक की क्रम संख्या तथा दिनांक और संगत निर्यात बीजकों की क्रम संख्या और दिनांक संबंधी विवरण,

(ग) SEZ यूनिट अथवा डेवलपर को की गयी माल की आपूर्ति के आधार पर दावाकृत रिफण्ड के मामले में बीजकों की क्रम संख्या तथा दिनांक, जैसा कि बीजकों से संबंधित नियम में विहित हो, संबंधी विवरण,

(घ) डीम्ड निर्यात के आधार पर दावाकृत रिफण्ड के मामले में बीजकों की क्रम संख्या तथा दिनांक संबंधी विवरण,

(ङ) सेवाओं के निर्यात के आधार पर दावाकृत रिफण्ड के संबंध में बीजकों की क्रम संख्या तथा दिनांक तथा संगत Bank Realization Certificate अथवा एफ0आई0आर0सी0 (Foreign Inward Remittance Certificates) जैसी भी स्थिति हो, संबंधी विवरण,

(च) SEZ यूनिट अथवा डेवलपर को की गयी सेवाओं की आपूर्ति के आधार पर दावाकृत रिफण्ड के मामले में बीजकों की क्रम संख्या तथा दिनांक के साथ दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा आपूर्तिकर्ता को किये गये भुगतान के साक्ष्य संबंधी विवरण,

(छ) ऐसी दशा में जहाँ रिफण्ड अप्रयुक्त आई0टी0सी0 अथवा अधिक आई0टी0सी0 जमा होने के आधार पर किया जा रहा है, प्ररूप GST RFD - 1 के अनुलग्नक–1 में किसी कर अवधि में प्राप्त तथा जारी बीजकों की क्रम संख्या तथा दिनांक संबंधी विवरण,

(ज) अन्तिम कर निर्धारण आदेश की संदर्भ संख्या तथा प्रति, जहाँ अस्थायी कर निर्धारण के अन्तिम होने के फलस्वरूप रिफण्ड सृजित हुआ हो,

(झ) दावाकृत रिफण्ड रू0 02 लाख से कम होने की दशा में ऐसी घोषणा जिसके द्वारा कर तथा ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति पर स्थानान्तरित नहीं किया जाना घोषित किया गया जाए।

(त्र) दावाकृत रिफण्ड रू0 02 लाख से अधिक होने की दशा में कर तथा ब्याज का भार किसी अन्य व्यक्ति पर स्थानान्तरित नहीं किए जाने के आधार पर दावाकृत रिफण्ड के संदर्भ में चार्टर्ड एकाउन्टेंट अथवा कॉस्ट एकाउन्टेंट द्वारा जारी किया गया प्रारूप GST RFD - 1 का अनुलग्नक–2 ।

प्रश्न 7 : इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफण्ड किस लेजर (Ledger) से किया जायेगा ?

उत्तर : जहाँ दावाकृत रिफण्ड से संबंधित आवेदन पत्र इनपुट टैक्स रिफण्ड से संबंधित है, वहाँ आवेदक के इलैक्ट्रॉनिक क्रैडिट लेजर (Electronic Credit Ledger) से दावाकृत रिफण्ड के बराबर धनराशि घटा दी जायेगी।

प्रश्न 8 : पंजीयन के समय जमा किये गये अग्रिम कर के रिफण्ड को दावाकृत किये जाने की क्या प्रक्रिया है ?

उत्तर : आवेदक की देयताओं से समायोजन करने के उपरान्त पंजीयन के समय जमा किये गये अवशेष अग्रिम कर का रिफण्ड अपेक्षित अंतिम विवरणी दाखिल करने पर दावाकृत की जा सकती है।

प्रश्न 9 : इलैक्ट्रॉनिक कैश लेजर (Electronic Cash Ledger) से दावाकृत रिफण्ड के अन्यथा प्रारूप GST RFD - 1 में रिफण्ड के लिए आवेदन करने के उपरान्त की क्या प्रक्रिया है ?

उत्तर : इलैक्ट्रॉनिक कैश लेजर (Electronic Cash Ledger) से दावाकृत रिफण्ड के अन्यथा प्ररूप GST RFD - 1 में रिफण्ड के लिए आवेदन करने के उपरान्त उक्त आवेदन पत्र समुचित अधिकारी को अग्रेषित किया जायेगा, जो ऐसे आवेदन पत्र के दाखिल होने के पन्द्रह दिनों के भीतर दाखिल आवेदन पत्र की समीक्षा करेगा तथा आवेदन पत्र के पूर्ण पाये जाने पर पावती इलैक्ट्रॉनिकली प्रारूप GST RFD - 2 में कॉमन पोर्टल पर उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें रिफण्ड के दावाकृत किये जाने की तिथि का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा।

प्रश्न 10 : रिफण्ड हेतु दाखिल आवेदन पत्र में कोई कमी होने पर क्या प्राविधान है ?

उत्तर : यदि रिफण्ड हेतु दाखिल आवेदन पत्र में कोई कमी पाई जाती है तो समुचित अधिकारी ऐसी कमियों को प्ररूप GST RFD - 3 में कॉमन पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिकली सूचित करेगा तथा यह अपेक्षा करेगा कि रिफण्ड हेतु आवेदन पत्र कमियों के सुधार उपरान्त पुन: दाखिल किया जाये।

प्रश्न 11 : अस्थायी रिफण्ड की प्राप्ति हेतु क्या अर्हता है ?

उत्तर : अस्थायी रिफण्ड की प्राप्ति हेतु निम्न अर्हताएँ हैं –

1. ऐसी कर अवधि जिससे दावाकृत रिफण्ड संबंधित है, से ठीक पूर्व की पाँच वर्ष की अवधि में ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम अथवा किसी विधि के अन्तर्गत किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया हो, जिसमें करापवंचित कर की धनराशि रूपये ढाई करोड़ से अधिक हो,
2. ऐसे आवेदक की वस्तु एवं सेवा कर की अनुपालन की श्रेणी (Rating) दस में से पाँच से कम न हो,
3. ऐसे किसी रिफण्ड के संबंध में कोई अपील, पुनरीक्षण अथवा समीक्षा की कार्यवाही अनिस्तारित न हो तथा यदि अनिस्तारित है तो किसी समुचित अधिकारी अथवा न्यायालय द्वारा इसे स्थगित न किया गया हो।

प्रश्न12 : अस्थायी आधार पर रिफण्ड कितने दिनों के भीतर जारी कर दिया जायेगा ?

उत्तर : समुचित अधिकारी पावती की तिथि से सात दिन के भीतर पूर्णत: संतुष्ट होने पर प्ररूप GST RDF - 4 में अस्थायी आधार पर रिफण्ड जारी करने के आदेश जारी करेगा।

प्रश्न 13 : आवेदक को रिफण्ड किस प्रकार देय होगा ?

उत्तर : समुचित अधिकारी द्वारा रिफण्ड की गयी धनराशि आवेदक द्वारा पंजीयन के समय और रिफण्ड हेतु प्रार्थनापत्र में विनिर्दिष्ट बैंक खाते में इलैक्ट्रॉनिकली हस्तान्तरित की जायेगी।

प्रश्न 14 : समुचित अधिकारी के संतुष्ट होने पर कि आवेदन को रिफण्ड देय है, तो उसकी अग्रिम प्रक्रिया क्या होगी ?

उत्तर : यदि समुचित अधिकारी संतुष्ट है कि आवेदक को रिफण्ड देय है तो वह इस आशय का आदेश प्रारूप GST RFD - 6 में जारी करेगा।

प्रश्न 15 : यदि आवेदक के विरूद्ध कोई बकाया अवशेष है तो ऐसी दशा में किये जाने वाले रिफण्ड की क्या स्थिति होगी ?

उत्तर : यदि आवेदक के विरूद्ध कोई बकाया अवशेष है तो ऐसी बकाया को रिफण्ड किये जाने वाली धनराशि में से घटाये जाने के उपरान्त आवेदक को शेष धनराशि रिफण्ड की जायेगी। इसी प्रकार यदि कोई धनराशि अस्थायी आधार पर रिफण्ड की गयी है तो ऐसी धनराशि भी रिफण्ड की जाने वाली धनराशि में से घटा दी जायेगी।

प्रश्न 16 : यदि वापसी योग्य धनराशि पूर्णत: बकाया के विरूद्ध समायोजित कर दी जाती है तो क्या इसकी सूचना आवेदक को दी जायेगी ?

उत्तर : हाँ, यदि वापसी योग्य धनराशि पूर्णत: बकाया के विरूद्ध समायोजित कर दी जाती है तो ऐसी दशा में समुचित अधिकारी इस आशय का आदेश प्ररूप GST RFD - 6 में जारी करेगा।

प्रश्न 17 : जहाँ समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि आवेदक को रिफण्ड देय नहीं है, वहाँ क्या प्रक्रिया होगी ?

उत्तर : जहाँ समुचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि आवेदक को रिफण्ड देय नहीं है, वहाँ समुचित अधिकारी इस आशय का नोटिस प्ररूप GST RFD-8 में जारी करेगा तथा ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तिथि से पन्द्रह दिनों के भीतर आवेदक से उत्तर प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। प्राप्त उत्तर के आधार पर समुचित अधिकारी GST RFD - 6 में रिफण्ड जारी किये जाने अथवा रिफण्ड अस्वीकृत किये जाने संबंधी आदेश जारी करेगा।

प्रश्न 18 : क्या विलम्ब से प्राप्त रिफण्ड पर ब्याज देय है ?

उत्तर : हाँ। समुचित अधिकारी द्वारा प्रारूप GST RFD - 5 में रिफण्ड हेतु देय ऐसी धनराशि जिसके संबंध में विलम्ब हुआ हो, विलम्ब की ऐसी अवधि जिसके लिए ब्याज देय हो और देय ब्याज की धनराशि का उल्लेख करते हुए आदेश तथा पेमेंट एडवाईस (Payment Advice) जारी किया जायेगा।

प्रश्न19 : रिफण्ड के लिए आवेदन करने की समय सीमा क्या है ?

उत्तर : रिफण्ड के लिए आवेदन करने की समय सीमा संगत (Relevant) तिथि से दो वर्ष की समाप्ति के पूर्व है।

प्रश्न20 : रिफण्ड हेतु प्राप्त आवेदन पत्र के कितने दिनों में समुचित अधिकारी द्वारा रिफण्ड के संबंध में आदेश करना होगा ?

उत्तर : समुचित अधिकारी द्वारा रिफण्ड हेतु प्राप्त आवेदन पत्र के साठ दिनों के भीतर रिफण्ड हेतु आदेश करने होंगे।

प्रश्न 21 : क्या जिस प्रकार वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र तथा उसकी आनुसंगिक एजेंसियों को देय कर पर रिफण्ड की सुविधा अनुमन्य है, उसी प्रकार क्या वस्तु एवं सेवा कर में भी सुविधा अनुमन्य होगी ?

उत्तर : हाँ।

प्रश्न22 : क्या जी0एस0टी0 लागू होने के बाद स्टॉक में उपलब्ध माल पर देय आई0टी0सी0 का रिफण्ड हो सकता है ?

उत्तर : नहीं, ऐसे मामलों में आई0टी0सी0 अगले वर्ष हेतु अग्रसारित हो जायेगी।

प्रश्न 23 : क्या विभाग द्वारा रिफण्ड को रोका जा सकता है ?

उत्तर : हाँ, निम्न परिस्थितियों में रिफण्ड को रोका जा सकता है –

(क) यदि पंजीकृत व्यापारी द्वारा रिटर्न दाखिल नहीं की गयी है,

(ख) यदि पंजीकृत व्यापारी द्वारा कोई कर, ब्याज, अर्थदण्ड का भुगतान किया जाना है तथा उक्त भुगतान को किसी अपीलीय अधिकारी/अधिकरण/न्यायालय द्वारा स्थगित न किया गया हो,

(ग) कमिश्नर/बोर्ड भी रिफण्ड को रोक सकते हैं, यदि रिफण्ड आदेश के विरूद्ध अपील की गयी है तथा उनके मतानुसार उक्त रिफण्ड का भुगतान राजस्व पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है।

प्रश्न 24 : क्या रिफण्ड हेतु कोई सीमा निर्धारित है ?

उत्तर : हाँ, यदि रिफण्ड योग्य धनराशि रू0 1000/– से कम है, तो रिफण्ड नहीं होगा।

प्रश्न : Tax invoice कौन जारी करेगा? Tax invoice के प्रमुख विवरण क्या होंगे ?

उत्तर : धारा 31 के अन्तर्गत बताये गये Tax invoice, Tax invoice नियम–1 के अधीन किसी पंजीकृत करदाता व्यक्ति द्वारा जारी किया जायेगा, जो निम्न की आपूर्ति करता हो :–

i) करयोग्य वस्तु की आपूर्ति करते समय जारी करेगा।

ii) करयोग्य सेवायें Tax invoice निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत जारी करेगा।

जिसमें निम्नलिखित वर्णन दिये गये हों :–

a) आपूर्तिकर्ता का नाम, पता तथा GSTIN.

b) Consecutive क्रम संख्या जिसमें केवल alphabets तथा/या numerals जो वित्तीय वर्ष के लिए unique हो।

c) जारी करने का दिनांक।

d) प्राप्तकर्ता का नाम, पता तथा GSTIN/Unique Identification number यदि, पंजीकृत हो।

e) प्राप्तकर्ता का नाम व पता तथा राज्य का नाम व कोड सहित वितरण किये जाने का पता, जहाँ ऐसा प्राप्तकर्ता अपंजीकृत हो व जहाँ आपूर्ति का करयोग्य मूल्य 50 हजार रुपये या ज्यादा हो।

f) वस्तुओं का HSN कोड अथवा सेवाओं का एकाउन्टिंग कोड।

g) वस्तुओं या सेवाओं का वर्णन।

h) वस्तु होने की दशा में मात्रा तथा उसका unit अथवा unique Quantity Code.

i) वस्तुओं अथवा सेवाओं का कुल मूल्य।

j) वस्तुओं तथा सेवाओं का करयोग्य मूल्य जिसमें discount or abatement, यदि कोई हो, को सम्मिलित किया गया हो।

k) (CGST, SGST या IGST) की कर की दर।

l) करयोग्य वस्तुओं या सेवाओं पर लिये गये कर की धनराशि (CGST, SGST या IGST)-

m) राज्य के नाम के सहित आपूर्ति की जगह का नाम, अगर आपूर्ति inter-state trade or commerce के अन्तर्गत की गयी हो।

n) वितरण किये जाने का स्थान, जहाँ पर वितरण स्थान, आपूर्ति स्थान से भिन्न हो।

o) क्या reverse charge पर देयकर है।

p) "Revised invoice" या "Supplementary invoice" का अँकन, जिस प्रकार का मामला हो, जिसे प्रमुखता से दर्शाया गया हो, जहाँ पर दिनांक तथा original invoice के invoice number सहित देना हो तथा

q) आपूर्तिकर्ता अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या digital signature.

परन्तु निर्यात के मामलें में invoice पर ''निर्यात की आपूर्ति IGST भुगतान पर'' या ''निर्यात के लिए आपूर्ति अनुबन्धपत्र के अन्तर्गत IGST भुगतान के बिना'' का endorsement अंकित रहेगा, जैसा भी मामला हो, तथा उपधारा (e) में specified विवरण के स्थान पर निम्न विवरण अंकित होंगे –

1. प्राप्तकर्ता का नाम व पता –

2. आपूर्ति की जगह का पता –

3. गन्तव्य देश तथा

4. निर्यात हेतु वस्तुओं को ले जाने सम्बन्धी प्रार्थनापत्र की संख्या व दिनांक :

प्रश्न 2: करयोग्य सेवाओं की आपूर्ति के मामले में invoice कितने दिनों में जारी किया जायेगा।

उत्तर : नियम–1 में प्रदर्शित invoice, करयोग्य सेवा की आपूर्ति के मामले में, सेवाओं की आपूर्ति के दिन से 30 दिन के भीतर जारी किया जायेगा।

परन्तु जहाँ सेवाओं की आपूर्ति करने वाला कोई बैंकिंग कम्पनी हो अथवा कोई नॉन बैंकिंग वित्तीय कम्पनी सहित कोई वित्तीय संस्थान हो तो invoice जारी करने की समयावधि सेवाओं की आपूर्ति करने के दिन से 45 दिन होगी।

प्रश्न :3 वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति करने का invoice किस प्रकार का होगा।

उत्तर : Tax invoice को तीन प्रतिलिपियों में निम्न प्रकार तैयार किया जायेगा–

1. वस्तुओं की आपूर्ति के मामले में मूल प्रतिलिपि पर ''प्राप्तकर्ता के लिए मूल प्रति'' अंकित किया जायेगा।

   द्वितीय प्रतिलिपि पर, ''द्वितीय प्रतिलिपि परिवाहक हेतु'' अंकित किया जायेगा तथा तृतीय प्रतिलिपि ''तृतीय प्रतिलिपि आपूर्तिकर्ता हेतु'' अंकित किया जायेगा।

2. सेवाओं की आपूर्ति के मामले में invoice को दो प्रतियों में निम्न प्रकार तैयार किया जायेगा –

अ) मूल प्रतिलिपि पर ''प्राप्तकर्ता हेतु मूल प्रति'' अंकित किया जायेगा।

ब) द्वितीय प्रतिलिपि पर ''आपूर्तिकर्ता हेतु द्वितीय प्रति'' अंकित किया जायेगा।

प्रश्न4 : "Invoice Reference Number" क्या है इसको कैसे प्राप्त किया जायेगा व इसकी आवश्यकता कब होगी ?

उत्तर : Invoice Reference Number एक ऐसा निर्धारित दस्तावेज है जो प्रेषित माल की ढुलाई के समय, जिसका मूल्य 50,000/– रु0 से अधिक हो, माल ढुलाई के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को साथ लाना होगा।

जब इस प्रकार प्रेषित माल ले जाते हुए किसी वाहन को उचित अधिकारी द्वारा किसी स्थान पर रोकता है तो वह माल ले जाने वाले वाहन के जिम्मेदार व्यक्ति से ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है तथा ऐसा व्यक्ति ये दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा।

एक पंजीकृत व्यक्ति Invoice Reference Number कॉमन पोर्टल से अपलोड करके, उक्त पोर्टल फार्म GSTINV-1 में जारी invoice को प्राप्त कर सकता है तथा इससे उचित अधिकारियों द्वारा सत्यापन के समय tax invoice की जगह प्रस्तुत कर सकता है। जैसे कि धारा 61 के अन्तर्गत आवश्यक है। Invoice Reference Number अपलोड किये जाने के दिन से 30 दिन तक मान्य रहेगा।

प्रश्न 5 : वस्तुओं तथा सेवाओं के किसी particular transaction पर केन्द्रीय GST(CGST) तथा राज्य GST(SGST) पर साथ–साथ कर कैसे वसूला जायेगा ?

उत्तर : करमुक्त वस्तु एवं सेवाओं को छोड़कर वस्तु एवं सेवाओं के प्रत्येक संव्यवहार पर केन्द्रीय GST एवं राज्य GST साथ–साथ आरोपित होगा। दोनों कर एक ही मूल्य पर लगाये जाएंगे, ना कि राज्य वैट की तरह जो वस्तुओं के मूल्य व केन्द्रीय एक्साईज दोनों पर लगाया जाता है ?

प्रश्न 6 : Bill of supply क्या होता है ? आपूर्ति के सम्बन्ध में इसके अन्दर क्या प्रमुख विवरण होंगे ?

उत्तर : धारा 31 (3) (C) में उल्लेखित Bill of supply, चालान, tax invoice इत्यादि जैसा आपूर्ति का एक निर्धारित दस्तावेज है। इसे आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी किया जायेगा तथा इसके निम्न विवरण अंकित होंगे :–

ए) आपूर्तिकर्ता का नाम, पता व GSTIN.

बी) एक क्रमवार क्रमांक संख्या जिसमें केवल alphabets तथा/या number हों, जो उस वित्तीय वर्ष के लिए unique हो।

सी) जारी करने का दिनांक।

डी) प्राप्तकर्ता का नाम, पता व GSTIN/Unique identification number, यदि पंजीकृत है।

ई) वस्तुओं का HSN कोड अथवा सेवाओं के लिए Accounting code.

एफ) वस्तुओं अथवा सेवाओं का विवरण।

जी) वस्तुओं अथवा सेवाओं का मूल्य, किसी प्रकार की छूट या कमी को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई हो और

एच) आपूर्तिकर्ता अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर अथवा digital signature.

प्रश्न7 : GST में जारी किये गये tax invoice में की गयी गल्तियों को सुधारने के लिए क्या tools हैं? ऐसे tools में क्या–क्या विशेष विवरण होंगे ?

उत्तर : एक पंजीकृत करयोग्य व्यक्ति पंजीकरण के प्रभावी दिन से लेकर पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किये जाने तक के दौरान जारी किये गये invoice के बदले revised invoice जारी कर सकता है।

जहाँ पर tax invoice किसी वस्तुओं की आपूर्ति/या सेवाओं की आपूर्ति के लिए जारी किया गया हो, और करयोग्य मूल्य/या tax invoice पर लगाये गये tax को करयोग्य मूल्य से अधिक पाया जाये/या ऐसी आपूर्ति के सम्बन्ध में देय कर, करयोग्य व्यक्ति जिसने ऐसी वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति की हो, प्राप्तकर्ता के लिए एक क्रेडिट नोट जारी कर सकता है।

जहाँ पर tax invoice वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति के लिए जारी किया गया हो, और करयोग्य मूल्य और/या tax invoice में लगाया गया टैक्स करयोग्य मूल्य से कम पाया जाता है और/या ऐसी आपूर्ति के सम्बन्ध में देय कर, करयोग्य व्यक्ति जिसने ऐसी वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति की हो, प्राप्तकर्ता के लिए डेबिट नोट जारी कर सकता है।

धारा 34 के अन्तर्गत क्रेडिट या डेबिट नोट में निम्न विवरण अंकित होंगे :–

ए) आपूर्तिकर्ता का नाम, पता एवं GSTIN.

बी) दस्तावेज की प्रकृति।

सी) एक क्रमवार क्रमांक संख्या जिसमें केवल Alphabets तथा/या number हों, जो उस वित्तीय वर्ष के लिए unique हो।

डी) दस्तावेज जारी करने का दिनांक।

ई) प्राप्तकर्ता का नाम, पता व GSTIN/Unique ID Number, यदि पंजीकृत है।

एफ) प्राप्तकर्ता का नाम एवं पता और आपूर्ति की जगह का पता, राज्य का नाम और उसके कोड सहित, यदि प्राप्तकर्ता अंपजीकृत है।

जी) Bill of supply की क्रमांक संख्या व उसके लिए जारी किये गये tax invoice, जैसा भी मामला हो।

एच) वस्तु अथवा सेवाओं का करयोग्य मूल्य, कर की दर और कर की धनराशि जो प्राप्तकर्ता को दी गयी हो, अथवा उससे प्राप्त की गयी हो, जैसा भी मामला हो और

आई) आपूर्तिकर्ता अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या Digital Signature.

कॉमन सर्विस सेन्टर्स की सूची

Sr. No.	VLE Name	District	Block	Mobile No.
1	Kanak Pal Singh Bangari	Tehri Garhwal	Bhilangana	9536570988
2	Surendra Basoni	Tehri Garhwal	Bhilangana	7579266051
3	Rakesh Prasad	Tehri Garhwal	Jakhanidhar	9897879414
4	Shiv Singh	Tehri Garhwal	Jakhanidhar	9719791773
5	Mohinder Singh	Tehri Garhwal	Kirtinagar	9927463536
6	Mahavir Singh	Tehri Garhwal	Kirtinagar	9758909640
7	Bhag Singh Negi	Tehri Garhwal	Pratapnagar	9412026069
8	Purushattam Joshi	Tehri Garhwal	Pratapnagar	8126166575
9	Bharat Singh Rawat	Tehri Garhwal	Thauldhar	9927657161
10	Rajendra Singh Rangar	Tehri Garhwal	Thauldhar	9927881456
11	Bijendra Kumar	Tehri Garhwal	N. Nagar	9927183532
12	Surendra Singh Kandasi	Tehri Garhwal	N. Nagar	7579495920
13	Arun Arora	Dehradun	Raipur	9837065461
14	Saif Aleem	Dehradun	Raipur	9759389439
15	Rampal Bisht	Dehradun	Raipur	8006400860
16	Sandeep Kumar Gupta	Dehradun	Doiwala	9997238610
17	Nand Kishor Kandwal	Dehradun	Doiwala	9411382060
18	Jitendra Mohan Dabral	Dehradun	Doiwala	9634713456
19	Meenu Soni	Dehradun	Sahaspur	9634440218
20	Sachin Walia	Dehradun	Vikasnagar	9412019431
21	Vinod Kumar	Dehradun	Vikasnagar	9410131602
22	Aayush Goyal	Dehradun	Vikasnagar	9410103455
23	Naresh Singh Rana	Dehradun	Sahaspur	8859140400
24	Brijesh Kumar	Dehradun	Sahaspur	9410573790
25	Vishal Kumar	Dehradun	Kalsi	9837367582
26	Pritam Singh	Dehradun	Kalsi	9410320843
27	Govind singh	Dehradun	Chakrata	7579028405
28	Sanjay Kumar Sajwan	Uttarkashi	Naugaon	7895188852
29	Ajay Ramola	Uttarkashi	Naugaon	8126222595
30	Pramod Bandhani	Uttarkashi	Purola	9410753851

Sr. No.	VLE Name	District	Block	Moblle No.
31	Hemraj Singh Rawat	Uttarkashi	Purola	9760814892
32	Vijay Himani	Uttarkashi	Mori	9456530007
33	Ramveer Rana	Uttarkashi	Mori	9458952843
34	Satyendra Panwar	Uttarkashi	Bhatwari	7895359999
35	Chandan Singh Rana	Uttarkashi	Bhatwari	7500270987
36	Sohan Lal Bhatt	Uttarkashi	Dunda	8171679287
37	Baliram Semwal	Uttarkashi	Dunda	9927485563
38	Ajay Bijlwan	Uttarkashi	Chinyalisaur	9557640604
39	Sarva Nand	Tehri Garhwal	Chinyalisaur	9997868881
40	Sunil Gaur	Tehri Garhwal	Jaunpur	8941886688
41	Sameer Singh	Tehri Garhwal	Jaunpur	9756328025
42	Bhupendra Sinlgh	Tehri Garhwal	Chamba	9456197959
43	Girish Chandra Tiwari	Tehri Garhwal	Chamba	9411748086
44	Manwar Singh	Almora	Syaldeh	9927482720
45	Vidya Rawat	Almora	Syaldeh	9927545981
46	Bhagwat Singh	Almora	Chaukhutiya	9634745824
47	Mahesh Lal Verma	Almora	Chaukhutiya	98977060995
48	Harish Dhyani	Almora	Bhikiyasen	9759262217
49	Karan Kargeti	Almora	Bhikiyasen	9012053180
50	Kailash Chandra Rautela	Almora	Dwarahat	9411115628
51	Dinesh Kumar	Almora	Dwarahat	9837737841
52	Hema Shjwali	Almora	Hawalbagh	9528401989
53	Mohit Kumar Mehra	Almora	Hawalbagh	9720306688
54	Shyam Singh Negi	Almora	Lamgarah	9719799975
55	Kailash Fartiyal	Almora	Lamgarah	9410304715
56	Lalita Bhatt	Almora	Dhauladevi	9410311600
57	Jagdish Chandra Paliwal	Almora	Dhauladevi	9927888217
58	Jagdish Chandra Pant	Almora	Takula	9412966905
59	Garvid Pant	Almora	Takula	9412314860
60	Leela Dhar Sharma	Almora	Bhaisiyachana	9012171263
61	Kundan Singh	Almora	Bhaisiyachana	9411573783

Sr. No.	VLE Name	District	Block	Mobile No.
62	Pushkar Singh Rawat	Almora	Salt	9411516887
63	Geeta Chaudhary	Almora	Salt	9412365637
64	Rajendra Singh Nayal	Almora	Tarikhet	9410177711
65	Mohit Kumar Goyal	Almora	Tarikhet	9719042102
66	Kaushal Kishor Singh	Nanital	Ramnagar	7895125776
67	Geetanshu Bohra	Nanital	Ramnagar	8057264933
68	Minakshi Devi	Nanital	Ramnagar	9259309965
69	Sandeep Gusain	Pauri Garhwal	Bharolikhal	9410931662
70	Vinod Kumar Bandooni	Pauri Garhwal	Bharolikhal	9557938731
71	Ravindra Kumar Rawat	Pauri Garhwal	Nainidanda	9411745369
72	Harish Singh	Pauri Garhwal	Nainidanda	9917662123
73	Bhupendra Singh	U.S. Nagar	Jaspur	8941921155
74	Nitin Kumar	U.S. Nagar	Jaspur	9012225589
75	Nadeem	U.S. Nagar	Jaspur	9997241471
76	Shivam Sachdeva	U.S. Nagar	Kashipur	9286860001
77	Vivek Bharti	U.S. Nagar	Kashipur	9917754803
78	Jogendra Singh	U.S. Nagar	Kashipur	9897519977
79	Ankit Kumar	U.S. Nagar	Bazpur	9411344443
80	Puneet Khanna	U.S. Nagar	Bazpur	9690791111
81	Charanjeet Sharma	U.S. Nagar	Bazpur	9012013000
82	Surjeet Singh	U.S. Nagar	Gadarpur	9927140700
83	Suraj Goswami	U.S. Nagar	Gadarpur	9897613595
84	Abhijeet Biswas	U.S. Nagar	Gadarpur	9917019990
85	Manmohan Singh	U.S. Nagar	Rudrapur	8193833361
86	Anurag Anand	U.S. Nagar	Rudrapur	8899077990
87	Vijay Adhikari	U.S. Nagar	Rudrapur	9927153691
88	Narayan Upreti	U.S. Nagar	Khatima	9997814581
89	Sandeep Singh	U.S. Nagar	Khatima	9568408805
90	Kiranpreet Kur	U.S. Nagar	Khatima	9997748777
91	Gurpreet singh Momi	U.S. Nagar	Sitarganj	9012268788
92	Mhod. Nazeem	U.S. Nagar	Sitarganj	9761560021

Sr. No.	VLE Name	District	Block	Moblle No.
93	Harpreet Singh	U.S. Nagar	Sitarganj	9917825552
94	NItin Kumar Bhatt	Ninital	Haldwani	9897965598
95	Prakash Singh Mehta	Ninital	Haldwani	9837420003
96	Ranjana	Ninital	Haldwani	9027505354
97	Mrs Reeta Joshi	Ninital	Kotabagh	9759431616
98	Kamala Budhla Koti	Ninital	Kotabagh	9761210533
99	Kavindra Bisht	Ninital	Kotabagh	8938064717
100	Shah Faisal	Ninital	Bhimtal	9837667533
101	Naresh Naugai	Ninital	Bhimtal	9412955088
102	Ganesh Chandra Arya	Ninital	Dhari	9411303795
103	Debkinandan Paneru	Ninital	Dhari	9759435097
104	Pooja Rawat	Ninital	Betalghat	9412943028
105	Nirmala Devi	Ninital	Betalghat	9758642541
106	Krishna Chandra	Ninital	Okhalkanda	7579226665
107	Khushaal singh	Ninital	Okhalkanda	9412981419
108	Sanjay Kumar Bisht	Ninital	Ramgarh	9412928499
109	Gopal Krishna	Ninital	Ramgarh	9720245351
110	Chandan singh Dasoni	Pithoragarh	Berinag	9412105665
111	Devender Singh	Pithoragarh	Berinag	9927431704
112	Yogesh Kumar Pant	Bageshwar	Garud	9410741074
113	Bipin Chandra Pandey	Bageshwar	Garud	9411113286
114	Kailash Chandra LOhani	Bageshwar	Bageshwar	9758070275
115	Abhishek shah	Bageshwar	Bageshwar	9456394491
116	Yogesh Kumar Joshi	Bageshwar	Kapkot	9012663831
117	Sunder Singh	Bageshwar	Kapkot	9917738333
118	Sanjeev Hichari	Pithoragarh	Bin	9927020486
119	Anand Ballabh Pandey	Pithoragarh	Bin	9997425660
120	Harish Dami	Pithoragarh	Dharchula	9456577001
121	Anil Kumar Bhatt	Pithoragarh	Dharchula	8476943956
122	Vikram Singh Khadyat	Pithoragarh	Didihat	9411856938
123	Bhupendra Singh Bora	Pithoragarh	Didihat	9897098239

Sr. No.	VLE Name	District	Block	Mobile No.
124	Kundan Singh Bora	Pithoragarh	Gangolihat	9410742265s
125	Ravindra Singh Khati	Pithoragarh	Gangolihat	9761962029
126	Suendra Singh	Pithoragarh	Kanalichina	8958664040
127	Deepak Singh	Pithoragarh	Kanalichina	9411934113
128	Narendra Singh Bisht	Pithoragarh	Munakot	9456733172
129	Pramod Singh Bhatt	Pithoragarh	Munakot	9456587227
130	Jagdish Dewedi	Pithoragarh	Munsyari	9927498305
131	Devendra Singh Koranga	Pithoragarh	Munsyari	9927260491
132	Ashok Kumar	Champawat	Barakot	9458981306
133	Dhamendra Singh Adhikari	Champawat	Barakot	9917172164
134	Deepak Kumar	Champawat	Champawat	9927110198
135	Kapil Bhargav	Champawat	Champawat	9634289746
136	Sunil Chandra Pandey	Champawat	Lohaghat	9758004734
137	Jeewan Chand Uprati	Champawat	Lhoaghat	9415987592
138	Ghanshyam Binwal	Champawat	Pati	9456587889
139	Niwash Chandra	Champawat	Pati	9761896057
140	Alok Kumar	Haridwar	Bhaderabad	9758087561
141	Lalit	Haridwar	Bhaderabad	9411779238
142	Puneet Bharati	Haridwar	Bhaderabad	8979043966
143	Nitin Kumar	Haridwar	Bhagwanpur	9719975050
144	Shekhar Saini	Haridwar	Bhagwanpur	7500767999
145	Bhupendra Kumar	Haridwar	Bhagwanpur	9837363530
146	Madhukant Bhardwaj	Haridwar	Khanpur	7037710333
147	Avtar Singh	Haridwar	Khanpur	9058098000
148	Sethpal	Haridwar	Khanpur	9058100484
149	Vidit Kurar	Haridwar	Laksar	9456786368
150	Ram Kumar	Haridwar	Laksar	8859141414
151	Aditya	Haridwar	Laksar	8859151515
152	Amit chauhan	Haridwar	Narsan	9319290002
153	Parnav Saini	Haridwar	Narsan	9027420773
154	Jishan Ali	Haridwar	Narsan	9837376973

Sr. No.	VLE Name	District	Block	Moblle No.
155	Abhishek Saini	Haridwar	Roorkee	7895635412
156	Amit Kumar	Haridwar	Roorkee	8650579592
157	Rahul Kumar	Haridwar	Roorkee	7248119821
158	Surendra Ram	Chamoli	Dewal	8937815989
159	Kamal Singh	Chamoli	Dewal	9719282489
160	R. P. Juyal	Chamoli	Gair Sain	7351494744
161	Pankaj Gairi	Chamoli	Gair Sain	8650515743
162	Rahul Kahnduri	Chamoli	Karnprayag	9411110197
163	M. Ladola	Chamoli	Karnprayag	9410115736
164	Anil Sathi	Chamoli	Narayanbagar	7895164152
165	Vinod Maletha	Chamoli	Narayanbagar	9675522244
166	Mohan	Chamoli	Tharali	9412907354
167	Heera Lal	Chamoli	Tharali	8171184226
168	Naresh Chandra Nainwal	Chamoli	Joshimath	9927172272
169	Jaideep Singh	Chamoli	Joshimath	9557706508
170	Shashi Bhushan	Chamoli	Pokhari	9760340404
171	Jaspal Singh Negi	Chamoli	Pokhari	9627301955
172	Puran Singh	Chamoli	Dasholi	7830158773
173	Kulbir Singh	Chamoli	Dasholi	9917633080
174	Surendra Singh	Chamoli	Ghat	7895224340
175	Virender Singh	Chamoli	Ghat	9927966387
176	Diwakar Negi	Rudraprayag	Ukshimath	8979747828
177	Mukesh Singh	Rudraprayag	Ukshimath	9720557563
178	Aditya Rai	Rudraprayag	Agastyammuni	9719818339
179	Rama Rawat	Rudraprayag	Agastyammuni	8126255529
180	Kailash Chandra	Rudraprayag	jakholi	9720402736
181	Saniav Nautival	Rudraprayag	jakholi	9759728637
182	Manoi Bagari	Tehri Garhwal	Devprayag	9897198638
183	Birendra Singh Rawat	Pauri Garhwal	Pabo	9897870896
184	Pradeep Negi	Pauri Garhwal	Pabo	9758472712
185	Gaurav Dhyani	Pauri Garhwal	Pauri	8171037456

Sr. No.	VLE Name	District	Block	Mobile No.
186	Dilrraj Singh	Pauri Garhwal	Pauri	9897864906
187	Ashok Kumar	Pauri Garhwal	Pokhra	9410792022
188	Pramod Negi	Pauri Garhwal	Pokhra	8958662098
189	sohan Singh	Pauri Garhwal	Rikhnikhal	9634022399
190	Saniav Kumar	Pauri Garhwal	Khirsu	9997211288
191	Harish Chandra	Pauri Garhwal	Khirsu	9410392648
192	Pradeep Bijlwan	Pauri Garhwal	Kot	9997292079
193	Tameshwar Lal	Pauri Garhwal	Kot	9639791524
194	Satyapal Singh	Pauri Garhwal	Yamkeshwar	9756456590
195	Sandeep Singh	Pauri Garhwal	Yamkeshwar	8954056225
196	Sharvan Kumar	Pauri Garhwal	Rikhnikhal	7409920347
197	Pramod Kumar	Pauri Garhwal	Thalisain	8476014756
198	Khushpal Sinsh	Pauri Garhwal	Thalisain	7248369213
199	Ajay Gaur	Pauri Garhwal	Dugadda	9837467374
200	Chandini Pundir	Pauri Garhwal	Dugadda	9411370037
201	Neeraj Kumar Nigi	Pauri Garhwal	Dwarikal	9627007422
202	Arun Kumar	Pauri Garhwal	Dwarikal	9675757314
203	Rakesh Kumar	Pauri Garhwal	Ekeshwar	9627792854
204	Sandeep Khugshal	Pauri Garhwal	Ekeshwar	7895175167
205	Satendra Singh	Pauri Garhwal	Jahrikhal	9971596763
206	Mukesh Kumar Mishra	Pauri Garhwal	Jahrikhal	9412407054
207	Brijmahan	Pauri Garhwal	Kalgilkhal	9837488044
208	Harendra Singh	Pauri Garhwal	Kalgilkhal	9927317427

अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ

जी0एस0टी0 पोर्टल–**www.gst.gov.in**

जी0एस0टी0एन0 हेल्पलाइन–0124–4688999

जी0एस0टी0एन0ईमेल–**helpdesk@gst.gov.in**

वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड वेबासाइट **http://comtax.uk.gov.in**

वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड हेल्पलाइन–1800–274–2277

वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड ईमेल–**helpdesk-ct-uk@nic.in**

संक्रमणकालीन उपबंध

(अध्याय xx– धारा 139–142)

प्रश्न (1): मैं एक पंजीकृत ब्यौहारी हूं, तथा जीएसटी में भी अपना व्यापार जारी रखना चाहता हूं. मुझे क्या करना होगा?

उत्तर : इसके लिए जीएसटी कॉमन पोर्टल www.gst.gov.in पर जाकर विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अनंतिम आईडी व पासवर्ड की सहायता से अपना नामांकन कराना होगा। तत्पश्चात आपको अनंतिम आधार पर पंजीयन प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। नियत समयावधि के भीतर वांछित प्रपत्र दाखिल करने पर आपका यह पंजीयन स्थाई हो जाएगा।

प्रश्न (2) : मेरे द्वारा विक्रय किया जा रहा माल पूर्ववर्ती अधिनियम और जीएसटी अधिनियम दोनो में करयोग्य है, जीएसटी लागू होने की तिथि, अर्थात "नियत दिवस" को स्टॉक में रहे करयोग्य माल पर मुझे किस प्रकार आईटीसी प्राप्त होगा ?

उत्तर : आपके द्वारा पूर्ववर्ती अधिनियम के अंतर्गत दाखिल अपने देय अन्तिम रिटर्न में अग्रसारित की गई आईटीसी की राशि आपके इलैक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट कर दी जाएगी, बशर्ते कि संबंधित राशि जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत आईटीसी के रूप में ग्राह्य हो और आपने नियत दिवस के ठीक छह माह पूर्व की अवधि के सभी रिटर्न दाखिल किए हों। किन्तु यदि आपने रियायती दर अथवा बिना कर अदा किए कोई केन्द्रीय संव्यवहार किए हैं और संबंधित फॉर्म दाखिल नहीं किए हैं तब इस बिक्री पर पूर्ण दर से कर आरोपित करने पर प्राप्त राशि और रियायती दर पर जमा कर की राशि के अन्तर को अग्रसारित आईटीसी की राशि में से घटा दिया जाएगा।

प्रश्न (3) : केन्द्रीय फॉर्म जमा न करने के कारण मेरी केन्द्रीय बिक्री पर उक्त प्रकार से पूर्ण दर से कर आकलित करते हुए मेरे आईटीसी की राशि घटा दी गई थी। कालान्तर में फॉर्म दाखिल कर दिए जाने के उपरांत इस राशि का क्या होगा ?

उत्तर : विधिवत उचित केन्द्रीय फॉर्म दाखिल कर दिए जाने पर संबंधित राशि आपको पूर्ववर्ती अधिनियम के उपबंधों के तहत वापिस कर दी जाएगी।

प्रश्न (4) : मैं ऐसे करमुक्त माल का क्रय–विक्रय करता हूं जो जीएसटी अधिनियम में करयोग्य है, तथा मेरे पास इसकी खरीद व कर अदायगी के प्रपत्र हैं, क्या मुझे इनपर को आईटीसी मिलेगा ?

उत्तर : नहीं. परन्तु यदि आपके द्वारा क्रय किया गया माल विक्रय के प्रथम बिन्दु (एम/आई) पर करयोग्य है, यथा लुब्रिकैंट, टिम्बर, अनिर्मत तम्बाकू, बीडी में प्रयुक्त

तम्बाकू, बीडी, सिगार, सिगरेट, आदि, तब आपको ऐसे माल की बिक्री करने पर क्रय बीजकों पर प्रभारित कर आईटीसी के रूप में अथवा कर अदायगी प्रमाणित करने वाले प्रपत्र न होने पर आरोपणीय एसजीएसटी के साठ प्रतिशत के बराबर राशि आईटीसी के रूप में मिलेगी। किन्तु यह लाभ आपको एसजीएसटी जमा कर देने के बाद ही मिलेगा बशर्ते आपके प्रपत्र बारह माह से अधिक पुराने न हों।

प्रश्न (5) वर्तमान में मैं करयोग्य व करमुक्त दोनों प्रकार के माल का संव्यवहार करता हूं मेरे कुछ करमुक्त माल जीएसटी में करयोग्य हो रहें हैं। मुझे अपने स्टॉक पर आईटीसी किस प्रकार मिलेगा ?

उत्तर : आपके ऐसे माल जो पूर्ववर्ती अधिनियम में करयोग्य है, से संबंधित आईटीसी उक्तानुसार वैट के तहत देय आपके अन्तिम रिटर्न में अग्रसारित राशि के अनुरूप एसजीएसटी में रखे गए आपके इलैक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में हस्तांतरित हो जाएगा। ऐसा माल जो पूर्ववर्ती अधिनियम में करमुक्त था परन्तु जीएसटी में करयोग्य है, पर उक्त प्रश्न 4 के उत्तर के अनुरूप आईटीसी देय होगा। यथा उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं का निर्माता जिसका विक्रयधन पूर्व अधिनियम अवधि में डेढ करोड रूपए से कम रहा है।

प्रश्न (6) : मैं उत्पाद शुल्क योग्य (एक्साइजेबल) माल का क्रय–विक्रय करता हूं, मेरे पास इस माल की खरीद के प्रपत्र तो हैं, परन्तु मेरे पास एक्साइज अदायगी प्रमाणित करने वाले प्रपत्र नहीं हैं। क्या मुझे इनपर को आईटीसी मिलेगा ?

उत्तर : आपको ऐसे माल की बिक्री करने पर आरोपणीय सीजीएसटी के साठ प्रतिशत के बराबर राशि आईटीसी के रूप में मिलेगी किन्तु यह लाभ आपको सीजीएसटी जमा कर देने के बाद ही मिलेगा बशर्ते आपके प्रपत्र बारह माह से अधिक पुराने न हों।

प्रश्न (7) : मैं करमुक्त माल का निर्माता हूं परन्तु जीएसटी में मेरा उत्पाद करयोग्य हो गया है. मेरा कच्चा माल करयोग्य है तथा मेरे पास इसकी खरीद के प्रपत्र भी हैं. क्या मुझे इस कच्चे माल/अर्धनिर्मत/निर्मत माल के स्टॉक पर को आईटीसी मिलेगा ?

अथवा

डेढ करोड रूपए से कम विक्रयधन होने के कारण मैं अब तक उत्पाद शुल्क के अंतर्गत पंजीयन हेतु दायी नहीं था। नई प्रणाली में मैं पंजीयन का दायी हूं तथा मुझे अपने उत्पाद की आपूर्ति पर कर भी अदा करना है। क्या मुझे अपने कच्चे माल और अर्ध निर्मत व अन्तिम उत्पाद में निहित कच्चे माल पर आईटीसी मिलेगा ?

उत्तर : आप नियत दिवस से ठीक एक दिवस पूर्व स्टॉक में रहे अपने माल या कच्चे माल, अर्धनिर्मत/निर्मत वस्तु में अन्तर्ग्रस्त कच्चे माल के स्टॉक से संबंधित

वैट/सैनवैट अथवा ऐसे स्टॉक पर अदा की गई ड्यूटी से संबंधित आईटीसी का लाभ प्राप्त होगा का लाभ लेने हेतु पात्र होंगे बशर्ते कि

- इनका प्रयोग करयोग्य आपूर्ति में किया जाए
- ऐसे माल पर पूर्ववर्ती अधिनियम के तहत आईटीसी अग्राह्य न हो
- आप ऐसे इनपुट्स पर इस अधिनियम के अधीन आईटीसी के पात्र हों
- आपके पास कर अदायगी के प्रमाणस्वरूप विनिर्दिष्ट प्रपत्र हों जो कि नियत दिवस से बारह माह से अधिक पूर्व के न हों तथा
- आप इस अधिनियम के अधीन किसी प्रेरण के पात्र न हो

प्रश्न (8) : मैं करमुक्त माल का संव्यवहार करता हूं, जीएसटी में मेरा यह माल करयोग्य हो गया है, परन्तु मेरे पास कर अदायगी के प्रमाण युक्त प्रपत्र नहीं हैं, किन्तु माल की खरीद संबंधी अन्य प्रपत्र हैं. क्या मुझे माल के स्टॉक पर को आईटीसी मिलेगा ?

उत्तर : कर अदायगी के प्रमाण युक्त प्रपत्र न होने पर भी आप ऐसे माल की आपूर्ति के उपरांत कर अदा कर दिए जाने पर उस माल पर देय एसजीएसटी या सीजीएसटी, जैसी भी स्थिति हो, के साठ प्रतिशत के बराबर राशि के आईटीसी के हकदार होंगे, बशर्ते कि आप निर्माता या सेवा प्रदाता न हों. यह लाभ छह कर अवधियों के लिए ही उपलब्ध होगा तथा देय सीजीएसटी अदा कर दिए जाने के उपरांत प्राप्त होगा. इस हेतु सरकार यह शर्त भी रख सकती है कि इस क्रेडिट का लाभ रिसिपिएण्ट को अंतरित किया जाए. इस हेतु आपको जीएसटीआर टीआरएएनएस–1 में आवेदन तथा नियत दिवस के साठ दिनों के भीतर नियत दिवस को अपने स्टॉक के विवरण घोषित करने होंगे

प्रश्न (9) मेरे द्वारा अनन्य रूप से ऐसी वस्तु में संव्यवहार किया जा रहा है जो वर्तमान अधिनियम में करयोग्य परन्तु जीएसटी में करमुक्त है. क्या मुझे पूर्व में अदा किए गए कर का को लाभ प्राप्त होगा ?

उत्तर : नहीं

प्रश्न (10) : मेरी इकाई उत्पाद शुल्क से क्षेत्र आधारित छूट प्राप्त क्षेत्र में स्थित होने के कारण उत्पाद शुल्क से मुक्त है. क्या यह छूट जीएसटी में भी जारी रहेगी? क्या इस छूट के समाप्त होने पर मुझे अदा किए गए कर के रिफण्ड की को व्यवस्था है ?

उत्तर : नहीं. आपको अपने उत्पाद पर सीजीएसटी का भुगतान करना होगा. इस प्रकार अदा किए गए सीजीएसटी के 58 प्रतिशत अंश की भरपाई (रीइम्बर्समैण्ट) करने पर केन्द्र सरकार द्वारा सहमति व्यक्त की गई है।

प्रश्न (11) उपरोक्त प्रकार से छूट समाप्त होने की दशा में क्या मुझे अपने कच्चे माल या अर्धनिर्मित या निर्मित माल में अंतर्ग्रस्त कच्चे माल के स्टॉक पर पर आईटीसी प्राप्त होगा?

उत्तर : नहीं

प्रश्न (12) : नियत दिवस को ट्रांजिट में रहे माल अर्थात नियत दिवस से पहले खरीदे गए ऐसे माल जो मुझे "नियत दिवस" अर्थात जीएसटी लागू होने के बाद प्राप्त होता है, से संबंधित खरीद पर अदा किए गए कर का को लाभ मुझे प्राप्त होगा ?

उत्तर : जी हां, आपको इस खरीद पर अदा किए गए वैट अथवा ड्यूटी का लाभ अपने इलैक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रमशः एसजीएसटी अथवा सीजीएसटी के रूप में प्राप्त होगा यदि आपने नियत दिवस के तीस दिनों अथवा अगले तीस दिनों की विस्तारित अवधि के भीतर संबंधित इनवॉयस अथवा कर अदायगी के प्रपत्रों का इन्द्राज अपने लेखों में कर लिया है।

प्रश्न (13) : मेरे द्वारा पूर्ववर्ती अधिनियम में समाधान का विकल्प अपनाया गया था परन्तु जीएसटी में मैं समाधान का विकल्प नहीं अपनाता हूं। क्या मुझे अपने स्टॉक पर आईटीसी का लाभ प्राप्त होगा ?

उत्तर : जी हां. आपको नियत दिवस के साठ दिनों के भीतर प्रारूप जीएसटी टीआरएएनएस–01 में अपने स्टॉक का विवरण दाखिल करना होगा। आपके स्टॉक से संबंधित क्रेडिट इलैक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में जाएगा बशर्ते कि आप इस अधिनियम के अधीन इनपुट्स पर आईटीसी के पात्र हों, आपके द्वारा ऐसे माल का प्रयोग इस अधिनियम के अधीन करयोग्य आपूर्ति हेतु किया जाए तथा आप के पास इनवॉयस/कर भुगतान प्रमाणित करने वाले अन्य प्रपत्र हों जो नियत दिवस से बारह माह से अधिक पुराने न हों।

प्रश्न (14) मेरे द्वारा जीएसटी लागू होने से पहले माल प्रेषित किया गया था परन्तु क्रेता द्वारा यह माल वापिस कर दिया गया और यह माल जीएसटी लागू होने के उपरान्त वापिस लौटा. क्या इस वापिसी पर कोई कर अदा करना होगा ?

उत्तर : पूर्ववर्ती अधिनियम के अन्तर्गत कर अदा करने के उपरांत प्रेषित ऐसा माल जो नियत दिवस के छह माह पूर्व के भीतर की अवधि में गया हो और नियत दिवस को अथवा उसके उपरांत वापस आया हो तथा उपयुक्त अधिकारी के संतोषानुसार पहचाना जा सकने वाला हो, नियत दिवस के उपरांत छह माह की अवधि के भीतर पंजीकृत व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति द्वारा वापिस किया गया है तब पंजीकृत व्यक्ति (विक्रेता) वर्तमान अधिनियम के अंतर्गत अदा किए गए कर के रिफण्ड हेतु पात्र होगा.

परन्तु यदि ऐसा माल पंजीकृत व्यक्ति द्वारा लौटाया जाता है तब यह आपूर्ति मानी जाएगी। इसी प्रकार यदि पूर्ववर्ती अधिनियम में ड्यूटी पेड माल छह माह की अवधि के भीतर लौटता है– पंजीकृत से भिन्न व्यक्ति द्वारा वापिस किया जाए तो अदा की गई ड्यूटी का रिफंड देय है और यदि पंजीकृत करयोग्य व्यक्ति द्वारा लौटाया जाए तब यह आपूर्ति मानी जाएगी।

प्रश्न (15) : नियत दिवस के पूर्व अनुमोदन के आधार पर गए भेजा गया माल नियत दिवस के उपरांत वापिस लौट आता है, करदायित्व किस प्रकार होगा ?

उत्तर : जहां माल अनुमोदन के आधार पर नियत दिवस से छह माह पूर्व की अवधि के भीतर प्रेषित किया जाता है तथा नियत दिवस के उपरांत छह माह, या दो माह की विस्तारित अवधि के भीतर अस्वीकार होकर लौट आता है तब उसपर को कर देय नहीं होगा परन्तु नियत अथवा विस्तारित अवधि के भीतर नहीं लौटता है तथा इस अधिनियम के अंतर्गत करयोग्य है तब माल भेजने वाले व माल वापिस करने वाले दोनों पर ही करदेयता होगी।

प्रश्न (16) : माल या सेवा की आपूर्ति का अनुबंध नियत दिवस के पूर्व ही हो गया था परन्तु वास्तविक आपूर्ति नियत दिवस के उपरांत हुई। करदायित्व किस प्रकार निर्धारित होगा ?

उत्तर : यह संबंधित जीएसटी अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत आपूर्ति मानी जाएगी।

प्रश्न (17) : मैं आपूर्तिकर्ता हूं तथा पूर्ववर्ती अधिनियम के उपबंधों के तहत मेरी बिक्री पर टीडीएस कटने का प्रावधान है. पूर्ववर्ती अधिनियम के तहत की गई अपनी आपूर्ति के संबंध में मैं इनवॉयस नियत दिवस के पूर्व जारी कर चुका हूं परन्तु भुगतान नियत दिवस के उपरांत प्राप्त होता है तब टीडीएस कटौती किस प्रकार होगी ?

उत्तर : इस प्रकार के भुगतान पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा।

प्रश्न (18) : पूर्ववर्ती अधिनियम के अन्तर्गत रिटर्न रिवाइज करने, करनिर्धारण में सृजित किसी मांग, किसी अपील के निर्णय, आईटीसी व्युत्क्रमित करने, क्रेडिट नोट जारी करने आदि के कारण मुझपर कोई देयता उत्पन्न होती है. इसकी वसूली किस प्रकार होगी व क्या मुझे इस जमा के संबंध में कोई आईटीसी लाभ मिलेंगे ?

उत्तर : ऐसी राशि जो पिछले अधिनियम से संबंधित है, उस सीमा तक जहां तक गत अधिनियम में अदा नहीं की गई है, की वसूली संबंधित जीएसटी अधिनियम के तहत होगी व इस प्रकार जमा की गई राशि के संबंध में कोई आईटीसी देय नहीं होगा

प्रश्न (19) : पूर्ववर्ती अधिनियम के अन्तर्गत रिटर्न रिवाइज करने, करनिर्धारण के फलस्वरूप, किसी अपील के निर्णय, डेबिट नोट जारी करने आदि के कारण अथवा किन्हीं अन्य कारणों से पूर्ववर्ती अधिनियम के तहत कोई राशि वापिसी योग्य पाई जाती है तब मुझे संबंधित रिफण्ड किस विधि प्राप्त होगा ?

उत्तर : गत अधिनियम से संबंधित कोई रिफण्ड पिछले अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देय होगा।

प्रश्न (20) : नियत दिवस के पूर्व हुए किसी आपूर्ति अनुबंध के संदर्भ में नियत दिवस के उपरांत हुए किसी मूल्य पुनरीक्षण होने के कारण आपूर्ति का मूल्य घट या बढ जाता है करदायित्व किस प्रकार प्रभावित होगा ?

उत्तर : इस प्रकार मूल्य बढने अथवा घटने के कारण करदायित्व में आने वाली किसी कमी अथवा होने वाली किसी वृद्धि के संदर्भ में ऐसे परिवर्तन के तीस दिनों के भीतर आपूर्तिकर्ता द्वारा क्रेडिट नोट या डेबिट नोट अथवा संपूरक इनवॉयस जारी की जाएंगी। ऐसे प्रपत्र संबंधित जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत की गई आउटवर्ड सप्लाई से संबंधित माने जाएंगे।

प्रश्न (21) : मैने अपना माल अपने अभिकर्ता के व्यापार स्थल अथवा परिसर में विक्रय के लिए प्रेषित किया था, जो कि जीएसटी लागू होने की तिथि अर्थात नियत दिवस को वहीं रखा था. क्या उसे कोई आईटीसी प्राप्त होगा ?

उत्तर : आपके अभिकर्ता को अपने परिसर में रखे माल पर आईटीसी प्राप्त होगा बशर्ते कि अभिकर्ता इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत करयोग्य व्यक्ति हो, नियत दिवस से ठीक पूर्व आपने व अभिकर्ता दोनों ने इस स्टॉक का विवरण घोषित किया हो, ऐसे माल के बीजक नियत दिवस से बारह माह से पूर्व की अवधि के न हों, आपने या तो इस माल पर आईटीसी का लाभ न लिया हो या व्युत्क्रमित कर लिया हो।

समाधान संबंधी प्रावधान

अध्याय-3, धारा : 10

प्रश्न (1) : मैं वर्तमान (वैट) अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हूं. जी.एस.टी में मैं समाधान का विकल्प अपनाना चाहता हूं, इसके लिए मुझे क्या करना होगा ?

उत्तर : यदि आप नामांकन करा चुके हैं तब इसके लिए आपको नियत दिवस अर्थात् जी.एस.टी. लागू होने के एक दिन पूर्व अथवा नियत दिवस के तीस दिनों या कमिश्नर द्वारा इसका समय बढ़ाया जाता है तब उस बढ़े हुए समय के भीतर प्ररूप जी.एस.टी. सी.एम.पी.-01 में इलैक्ट्रॉनिक रूप में आवेदन करना होगा. परन्तु यदि आप समाधान विकल्प अपनाने का इरादा रखते हैं तथा इसके लिए नियत दिवस के उपरांत विकल्प देते हैं तब नियत दिवस से आप कोई कर वसूल नहीं कर सकेंगे और आपको इनवॉयस के स्थान पर निर्धारित बिल ऑफ सप्लाई जारी करना होगा. ऐसी स्थिति में आप पर नियत दिवस से समाधान की शर्तें लागू होंगी. इसके अतिरिक्त इस स्थिति में आपको समाधान विकल्प अपनाने की तिथि के साठ दिनों अथवा यदि कमिश्नर द्वारा इसका समय बढ़ाया जाता है तो उस बढ़े हुए समय के भीतर जी.एस.टी. सी.एम.पी-03 में समाधान अपनाए जाने की तिथि से ठीक एक दिवस पूर्व अपने स्टॉक, जिसमें अपंजीकृत व्यक्ति से प्राप्त माल की खरीद या अन्तर्भावी आपूर्ति (इनवर्ड सप्लाई) के विवरण भी सम्मिलित हों, का ब्यौरा भी देना होगा.

प्रश्न (2) : नियत दिवस अर्थात् जी.एस.टी. लागू होने के दिन से ही समाधान का विकल्प अपनाने वाले करयोग्य व्यक्ति के स्टॉक की प्रकृति के संबंध में क्या शर्तें हैं ?

उत्तर : उसका स्टॉक प्रांत बाहर से मंगाई गई अथवा देश के बाहर से आयातित वस्तुओं का नहीं होना चाहिए अथवा प्रांत बाहर स्थित अपनी शाखा से मंगाया हुआ या प्रांत बाहर स्थित निर्देष्टा (प्रिंसिपल) अथवा अपने अभिकर्ता (एजेंट) से मंगाया हुआ नहीं होना चाहिए.

प्रशन (3) : जी.एस.टी में नया पंजीयन लिए व्यक्ति द्वारा समाधान विकल्प अपनाने की सूचना किस प्रकार दी जाएगी तथा उसके समाधान आरम्भ होने की प्रभावी तिथि क्या होगी ?

उत्तर : यदि आप जी.एस.टी. में नवपंजीकृत हैं तथा व्यापार के प्रथम वर्ष में ही समाधान विकल्प अपनाना चाहते हैं तब आपको प्रारूप **जी.एस.टी. आर.. जी.-01 के भाग "ख"** में यह सूचना देनी होगी तथा समाधान की शर्तें प्रभावी होने की तिथि निम्नप्रकार होंगी–

- यदि निर्धारित समय अर्थात् पंजीयन का उत्तरदायित्व होने के तीस दिनों के अन्दर पंजीयन हेतु आवेदन कर दिया गया है तब पंजीयन हेतु दायी होने की तिथि
- यदि उक्त निर्धारित अवधि के बाद पंजीयन हेतु आवेदन किया गया है तब पंजीयन प्रदान किए जाने की तिथि

प्रश्न (4) मैं जी.एस.टी. में पंजीकृत हूं तथा जी.एस.टी. अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत अर्थात् सामान्य व्यापारी की तरह कर अदा करता हूं. मैं समाधान का विकल्प किस प्रकार अपना सकता हूं ?

उत्तर : यदि आप पहले से ही जी.एस.टी. में पंजीकृत हैं तथा आपके द्वारा समाधान का विकल्प नहीं अपनाया गया है तथा बाद में आप यह विकल्प अपनाना चाहते हैं, तब संबंधित वित्तीय वर्ष आरम्भ होने से पहले कभी भी जी.एस.टी. सी.एम.पी.-0 2 में आपको इलैक्ट्रॉनिक रूप में इस आशय की सूचना देनी होगी, तथा ऐसे वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से आप पर समाधान की शर्तें लागू होंगी. इसके अतिरिक्त इस स्थिति में आपको जी.एस.टी. आई.टी. सी.-0 3 में सबंधित वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ के साठ दिनों के भीतर, वित्तीय वर्ष के आरम्भ की तिथि से ठीक एक दिन पहले अपने स्टॉक का ब्यौरा भी देना होगा.

प्रश्न (5) : क्या धारा 9 के तहत अर्थात् सामान्य व्यापारी की तरह कर अदायगी का विकल्प छोडकर समाधान का विकल्प अपनाने की स्थिति में मुझे अपने अन्तिम स्टॉक पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ देय होगा ?

उत्तर : नहीं. इस स्थिति में आपके स्टॉक से संबंधित इनपुट टैक्स का आकलन करते हुए संबंधित राशि आपके इलैक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से घटा दी जाएगी. इलैक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से घटाने के उपरांत भी यदि आपके इलैक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कोई राशि बचती है तो वह व्यपगत (लैप्स) हो

जाएगी. यदि इलैक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में राशि स्टॉक पर आकलित इनपुट टैक्स की राशि से कम है तब शेष राशि या तो आपके इलैक्ट्रॉनिक कैश लेजर से घटाई जाएगी या आपको अपने इलैक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जमा करनी होगी.

प्रश्न (6) : समाधान का विकल्प छोडकर धारा 9 के अंतर्गत अर्थात् सामान्य व्यापारी की तरह कर अदायगी का विकल्प अपनाने पर अथवा समाधान के विकल्प हेतु पात्र न रह जाने पर क्या स्टॉक पर आईटीसी देय होगा ?

उत्तर : जी हां, उक्त परिस्थितियों में समाधान का विकल्प छोड़ने अथवा समाधान का पात्र न रह जाने वाले दिन को अन्तिम स्टॉक पर आईटीसी का लाभ प्राप्त होगा बशर्ते कि समाधान का विकल्प त्यागने के तत्काल बाद अथवा समाधान के विकल्प हेतु पात्र न रह जाने के एक सप्ताह के भीतर प्ररूप जी.एस.टी. सी.एमपी.- 04 में इसकी सूचना इलैक्ट्रॉनिक रूप में कॉमन पोर्टल पर दे दी गई हो. साथ ही समाधान से हटने या समाधान का पात्र न रह जाने की तिथि के तीस दिनों के भीतर प्ररूप जी.एस.टी. आई.टी. सी.-01 में इस तिथि को स्टॉक का विवरण इलैक्ट्रॉनिक रूप में दाखिल करना होगा.

प्रश्न (7) : क्या सेवाओं के आपूतर्तिकर्ता या सेवा प्रदाता भी समाधान का विकल्प अपना सकते हैं ?

उत्तर : मात्र भोजन, मानवीय उपभोग हेतु कोई अन्य सामग्री तथा (मानवीय उपभोग हेतु शराब को छोडते हुए किसी) पेय की सेवा या सेवा के भाग के रूप में किसी प्रकार की आपूर्ति करने वाला ही समाधान कर विकल्प ले सकता है इसके अलावा सेवाओं के किसी आपूर्तिकर्ता द्वारा समाधान का विकल्प नहीं अपनाया जा सकता.

प्रश्न (8) : क्या गैर-जीएस.टी. वस्तुओं जैसे पेट्रोलियम उत्पाद या शराब आदि की बिक्री के लिए समाधान का विकल्प दिया जा सकता है ?

उत्तर : नहीं.

प्रश्न (8) : मैं एक अथवा एक से अधिक राज्यों में एक ही पैन पर पंजीकृत हूं. क्या मैं अपनी एक या एक से अधिक कुछ ऐसी पंजीकृत इकाइयों, जिनका गत वर्ष का सम्मिलित विक्रयधन पचास लाख रूपए से कम है, के लिए समाधान का विकल्प अपना सकता हूं ?

उत्तर : नहीं. आपको एक पैन पर पंजीकृत अपनी समस्त इकईयों के लिए एक साथ समाधान विकल्प अपनाना होगा. विक्रयधन सीमा की गणना समस्त इकाईयों के सम्मिलित विक्रयधन को जोडकर की जाएगी न कि कुछ इकाईयों के विक्रयधन मात्र के योग से.

प्रश्न (9) : क्या मुझे एक पैन पर पंजीकृत अपने प्रत्येक व्यापार स्थल के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा ?

उत्तर : नहीं, किसी भी एक व्यापार स्थल के लिए दिया गया आवेदन शेष समस्त व्यापार स्थलों के लिए आवेदित समझा जाएगा.

प्रश्न (10): समाधान का विकल्प अपनाने के लिए मेरे सकल विक्रयधन की गणना करने में करमुक्त आपूर्तियों से संबंधित विक्रयधन को भी जोडा जाएगा. सकल विक्रयधन में क्या-क्या जोडा जाएगा ?

उत्तर : सकल विक्रयधन में आपकी करमुक्त आपूर्तियों से संबंधित विक्रयधन भी शामिल होगा. इसमें सभी करयोग्य आपूर्तियों, देश के बाहर निर्यात एवं अन्तर्राज्यीय आपूर्तियों से संबंधित विक्रयधन सम्मिलित किया जाएगा, परन्तु व्युत्क्रम प्रभार (रिवर्स चार्ज) आधार पर अदा किए गए कर से संबंधित आपूर्ति का मूल्य सम्मिलित नहीं किया जाएगा.

प्रश्न (11) : क्या समाधान का विकल्प अपनाने की अवधि के दौरान मैं अन्तर्राज्यीय आपूर्ति अथवा निर्यात कर सकता हूं ?

उत्तर : आप इस दौरान निर्यात तो कर सकते हैं परन्तु अन्तर्राज्यीय आपूर्ति नहीं कर सकते.

प्रश्न (12) : क्या विनिर्माता समाधान का विकल्प अपना सकते हैं ?

उत्तर : हां, बशर्ते कि उनके उत्पाद को सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से इस सुविधा से वंचित न कर दिया हो.

प्रश्न (13) : क्या समाधान विकल्प अपनाने की अवधि के दौरान ऐसी आपूर्ति जिसपर व्युत्क्रम प्रभार (रिवर्स चार्ज) आधार पर कर देय है, की खरीद अन्तर्भावी (इनवर्ड) आपूर्ति पर मुझे कर अदा करना होगा ?

उत्तर : जी हां.

प्रश्न (14) : मेरे पास अपंजीकृत से क्रय किए गए माल का स्टॉक है. क्या मैं समाधान का विकल्प अपना सकता हूं ?

उत्तर : इस दशा में समाधान का विकल्प अपनाने हेतु पात्र नहीं होंगे, बशर्ते कि आपने ऐसे स्टॉक पर व्युत्क्रम प्रभार (रिवर्स चार्ज) आधार पर कर अदा न कर दिया हो.

प्रश्न (15) : कौन–कौन से व्यक्ति समाधान का विकल्प नहीं अपना सकेंगे ?

उत्तर : (क) प्रश्न 7 में वर्णित अपवाद के साथ सेवाओं के आपूर्तिकर्ता

(ख) गैर–जी.एस.टी वस्तुओं के आपूर्तिकर्ता

(ग) वस्तुओं की अन्तर्राज्यीय बिक्री या बहिर्धाभवी (आउटवर्ड) आपूर्तिकर्ता

(घ) ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जो स्रोत पर कर संग्रह हेतु दायी हो, के माध्यम से वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले

(ड) सरकार द्वारा अधिसूचित वस्तुओं का विनिर्माण करने वाले

(च) नैमित्तिक (कैजुअल) अथवा अप्रवासी (नॉन रेजिडैंट) कराधीन व्यक्ति

प्रश्न (16) : समाधान का विकल्प अपनाने के उपरांत मुझे अपने व्यापार स्थल पर लगाए जाने वाले बोर्ड पर क्या कोई परिवर्तन करने होंगे ?

उत्तर : इसके लिए आपको अपने व्यापार के मुख्य स्थान तथा व्यापार के अपने प्रत्येक अतिरिक्त स्थान पर "कम्पोजीशन टैक्सेबल पर्सन" (समाधान कराधीन व्यक्ति) का बोर्ड लगाना होगा.

प्रश्न (17) : समाधान का विकल्प अपनाने के उपरांत मुझे अपनी आपूर्तियों हेतु बिलिंग किस प्रकार करनी होगी ?

उत्तर : आपको इनवॉयस के स्थान पर ''बिल ऑफ सप्लाई'' जारी करना होगा तथा ऐसे बिल ऑफ सप्लाई के ऊपर शीर्ष पर "कम्पोजीशन टैक्सेबल पर्सन, नॉट इलिजेबल टू कलैक्ट टैक्स ऑन सप्लाइज'' (समाधान कराधीन व्यक्ति, आपूर्तियों पर कर संग्रह हेतु पात्र नहीं) अंकित करना होगा.

प्रश्न (18) : समाधान का पात्र न होते हुए भी मैंने समाधान का विकल्प अपना लिया था अथवा समाधान का विकल्प अपनाने के बाद मैं उसकी किसी शर्त का उल्लंघन करता हूं. क्या मुझे समाधान जारी रखने की अनुमति होगी ?

उत्तर : ऐसी स्थिति में उपयुक्त अधिकारी आपको नोटिस जारी करेगा तथा आपका पक्ष जानने के उपरांत, समाधान अपनाए जाने की तिथि से अथवा उल्लंघन की तिथि से, जैसी भी स्थिति हो आपके समाधान विकल्प को अस्वीकार कर देगा.

प्रश्न (19) : समाधान का पात्र न होते हुए भी समाधान का विकल्प अपनाने के कारण अथवा समाधान का विकल्प अपनाने के बाद उसकी किसी शर्त का उल्लंघन करने के कारण समाधान अस्वीकार करने पर मेरा करदायित्व किस प्रकार निर्धारित होगा ? क्या मुझे स्टॉक पर कोई आई.टी.सी. मिलेगा ?

उत्तर : समाधान का पात्र न होते हुए भी समाधान का विकल्प अपनाने पर समाधान अपनाए जाने की तिथि से या किसी प्रावधान का उल्लंघन करने के कारण समाधान से बाहर होने की स्थिति में उल्लंघन की तिथि से आपका कर दायित्व धारा 9 के प्रावधानों के अनुरूप अर्थात् सामान्य व्यापारी की तरह निर्धारित होगा. समाधान से बाहर होने की तिथि के अन्तिम स्टॉक पर आपको आई.टी.सी. मिलेगा बशर्ते कि इस तिथि के तीस दिनों के भीतर रूप जी.एस. टी. आई.टी.सी.-01 में इस तिथि को स्टॉक का विवरण इलैक्ट्रॉनिक रूप में दाखिल कर दिया हो.

Disclaimer

इस पुस्तिका में उपलब्ध कराये गये विवरण/सूचना/आंकडे, तिथि, उपलब्ध जी.एस.टी. लॉ एवं जी.एस.टी. रूल्स एवं अन्य विवरण के आधार पर तैयार किये गये हैं जिन्हें यथा सम्भव सही रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। किसी भी त्रुटि की दशा में कृपया कार्यालय आयुक्त कर मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

पता : आयुक्त कर मुख्यालय, मसूरी बाई–पास रोड, नत्थपुर, देहरादून

GST
राष्ट्र
GST
कर
बाजार
GDP